राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्ययक (बजट) सत्र की कार्यवाही

पन्द्रहवीं बैठक-सोमवार, दिनांक २१ अप्रेल, १९५२.

सभा की बैठक आज तारीख २१ अप्रेल, १९५२ को सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर में, ८ बजकर ३५ मिनट पर प्रारंभ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) ने आसन ग्रहण किया।

आबू के प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार

मा० श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, मैं सिरोही और आबू के प्रश्न के उत्तर के बारे में इस हाउस की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा, कि आबू के प्रश्न पर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आने वाला है, शायद कल ही सम्भव हो। इस दृष्टि से ही मने श्री मोहब्बतसिंहजी से और श्री वेदपालजी त्यागी से बातें की थी, क्योंकि वे अपना प्रस्ताव इस सम्बन्ध मे आज रखने वाले थे, और उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि वे प्रस्ताव मूव नहीं करेंगे।

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्षजी, इसके विषय में मैं निवदन करना चाहता हूं कि आज का जो कार्यक्रम भेजा गया है उसमें माननीय श्री वेदपालजी त्यागी का रिजोलूशन तो मौजूद है, लेकिन जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा कि इस सम्बन्ध मे श्री मोहब्बतसिंहजी ने प्रस्ताव रखा है, उसका यहां कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है, इस विषय की ?

मा० श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया कि मैंने दोनों ही सज्जनों से बातें की थीं और उस पर ही वे अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे। असल में माननीय त्यागीजी का प्रस्ताव भी लिस्ट ओफ बिज़नेस में नहीं होना चाहिए था, वह शायद गल्ती से आ गया होगा।

अल्प-काल सूचना प्रश्न

प्रश्न संख्या ४१

इंडियन पुलिस सर्विस की प्रथम लिस्ट में प्रकाशित सदस्यों की सीनियोरिटी

श्री भेरुसिंह:—क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:— आई.पी.एस. (इंडियन पुलिस सर्विस) की प्रथम लिस्ट में जो सदस्यों के नाम प्रकाशित हुए हैं उनकी सिनियोरिटी किस प्रकार है और किस आधार पर कायम की गई है ?

(२) आई.पी.एस. की प्रथम लिस्ट के अलावा और कितनी श्रेणियें हैं और उनके सदस्यों के नाम क्या २ हैं ?

(३) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की द्वितीय व तृतीय लिस्टों में किन२ व्यक्तियों को किस किस श्रेणी में रखा गया है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, इंडियन पुलिस सर्विस में नियुक्त किए गए अफसरों की नामावली गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन में प्रकाशित की थी और अभी थोड़े दिन पहले उस नोटिफिकेशन का पुनः प्रकाशन राजस्थान के गजट में कर दिया गया था। सीनियोरिटि के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और राजस्थान सरकार गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से इस विषय पर अभी सूचना की प्रतीक्षा कर रही है।

(२) इंडियन पुलिस सर्विस की एक ही सूचि है किन्तु राजस्थान में इन अफसरों की भी एक सूचि बनाई गई है जो राजस्थान में इंडियन पुलिस सर्विस कमीशन लागू होने के साथ ही इस समय राजस्थान में उन पदों पर लिये जाने चाहिए थे जो पद इन्डियन पुलिस सर्विस में सम्मिलित हो गये हैं। और भी इस तरह की उन अफसरों की सूचि बनाई गई है जो कि इस समय इन्डियन पुलिस सर्विस में सम्मिलित किये जाने के योग्य नहीं पाये गये हैं, किन्तु उनके बारे में ऐसा ख्याल किया जाता है कि कुछ समय और अनुभव प्राप्त करने के बाद वे उस सर्विस में सम्मिलित किये जाने के योग्य हो जायेंगे, लेकिन जनहित की दृष्टि से ऐसे अफसरों की नामावली प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।

(३) इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की तीसरी सूचि अभी पूर्ण नहीं हुई है और लिस्ट २ के बारे में भी जो इंडियन पुलिस सर्विस के लिए मैंने निवेदन किया है वही विचार इसमें भी लागू होते हैं। जन हित की दृष्टि से ऐसे अफसरों की नामावली प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।

श्री भेरुसिंह:–क्या यह लिस्टें फाइनल नहीं हुई हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की लिस्ट फाइनल हो चुकी है।

श्री खेतसिंह:–इंडियन पुलिस सर्विस की प्रथम लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके मुत्तल्लिक जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया है कि उनकी सीनियोरिटी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से पूछ कर बतलायेंगे तो क्या जो कुछ सीनियोरिटी वहां तय होगी वह राजस्थान सरकार मंजूर करेगी या उसमें हेर-फेर करेगी?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—वह सर्विस इंडियन सर्विस में है इसलिये उसकी सीनियोरिटी का निर्णय करना गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का ही काम है; लेकिन जो अफसर हमारे यहां है उनके विषय में राजस्थान सरकार से सलाह ली जायगी और राजस्थान सरकार अपने विचार देगी।

प्रश्न संख्या ४३

जोधपुर शहर में तोपों का चलना बंद होना

श्री भेरुसिंह:–क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जोधपुर शहर की जनता की इच्छा के बावजूद दिन के बारह बजे व रात के नौ बजे चलने वाली तोपें बन्द क्यों की गई ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कई नगरों में पहले तोपें चला करती थीं। खर्चे में कमी करने की दृष्टि से इनको सरकार ने बन्द किया है; क्योंकि लगभग एक लाख रुपया सालाना विभिन्न नगरों में चलने वाली तोपों पर सरकार का खर्च हुआ करता था। जोधपुर के विषय में कोई अपवाद करने का विचार सरकार का नहीं है।

श्री कपिलदेव:–क्या यह सही है कि दूसरे शहरों में अब भी तोपें चलती हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–नहीं, सब जगह बन्द हैं।

श्री मानसिंह:–क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं करती है कि तोप चलने से आम जनता को शायद एक लाख रुपये से भी ज्यादा फायदा होता है ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–सरकार ऐसा नहीं समझती कि इससे एक लाख से भी ज्यादा का फायदा होता है।

श्री कपिलदेव:–क्या बजट में प्रोविजन नहीं रखा गया है? बजट में बीकानेर, कोटा और उदयपुर के लिए प्रोविजन मौजूद है। सिर्फ जयपुर और जोधपुर के लिए ही नहीं है इसकी क्या वजह है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–प्रोविजन होते हुए भी वहां पर उनका उपयोग नहीं किया जायगा।

श्री कपिलदेव:–तो फिर उस रुपये का क्या होगा ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–वह 'बचत' हो जायगा।

श्री कपिलदेव:–जबकि बीकानेर और उदयपुर में सिर्फ ५–५ हजार रुपये ही रखे गये हैं तो जयपुर में ही एक लाख रुपया कैसे खर्च होगा? क्या यहां नई किस्म की तोपें चला करती थीं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मैंने बताया कि राजस्थान भर के लिए एक लाख रुपया खर्च होता था।

श्री मानसिंह:—जबकि बजट में बताया गया है कि कोटा या बीकानेर में तोप चलाने के लिए करीब ७ या १० हजार रुपये लगते हैं तो पांच जगह तोपें चलाने से एक लाख रुपया कैसे खर्च हो सकता है? अगर दस दस हजार रुपये भी हर जगह के लिए मान लिये जायं तो भी ज्यादा से ज्यादा पच्चास हजार होता है, एक लाख नहीं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—कहीं पर ३ दफे तोपें चला करती है, कहीं दो दफे चलती होंगी; लेकिन करीबन एक लाख के खर्चा हुआ करता है। और जो कुछ भी खर्च होता था वह अब नहीं होगा और अब इस प्रोवीजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—मैं बजट के पृष्ठ १२० की तरफ ध्यान दिलाता हूं जिसमें कुल खर्चा २,१९,७००) रुपये हैं, जिनमें से १,८७,६४० रुपये वर्कशॉप, किलेजात और तोपखाना आदि के लिए हैं। इस तरह कुल ३० हजार से ज्यादा खर्चा गत वर्ष सब जगह तोपें चलाने का नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि जयपुर में करीब १०० कोठे बारूद के किले में मौजूद हैं जो कि कई वर्षों तक तोपों के लिए काफी हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कई कोठे जो भरे हुए हैं उनका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है—कुए खोदने आदि दूसरे कामों में।

श्री कपिलदेव:—क्या सरकार जनता की मांग को देखते हुए तोपों का फिर से चलाना आवश्यक समझती है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—मैं मानता हूं कि तोपें चलाना आवश्यक हो सकता है लेकिन उससे भी ज्यादा और भी आवश्यक बातें हैं।

श्री भवानीसहाय:—टाइम का सिगनल तोपों से किया जाता था। क्या इसका दूसरा प्रबन्ध कर दिया जायगा?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—प्रायः लोगों के पास घड़ियें रहा करती है, और सरकार भी कुछ सोच रही है।

श्री भवानीसहाय:—क्या अब तक सभी के पास घड़ियें नहीं हुआ करती थीं?

क्या अब समानता का युग होने जा रहा है कि गरीब जनता के पास घड़ियें हो जायंगी?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—बहुत सी गरीब जनता ऐसी है जो तोपें भी नहीं सुनती है। टाइम सिगनल की अब जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जा रही है।

श्री कपिलदेव:—वह कब तक कर देने का विचार है? 'जल्दी से जल्दी' की क्या परिभाषा है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—वह जल्दी ही हो जायगा।

श्री भीमसिंह:—वह टाइम सिगनल शुरू करने के लिए कितना खर्चा होगा?

माननीम श्री टीकाराम पालीवाल:—यह सारी बातें विचारी जा रही हैं।

श्री मानसिंह:—(जमुआ रामगढ):—तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जब तक दूसरा इन्तजाम नहीं हो तब तक तोपें चालू रखी जायं। राजस्थान को बने ३ वर्ष होगये तब से यह चलती हैं। मोटरों के खर्चे में से कमी की जाकर यह तोपें जारी रखी जायं और फिर जब इन्तजाम हो जाय तो उनको बन्द कर दिया जाय। क्या सरकार को इसमें कोई आपत्ति है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—उसमें आपत्ति पहले ही नहीं थी; लेकिन इसमें एक लाख रुपया बचता है।

मोटरों के खर्चे में भी जितनी कमी हो सकती है उतनी सरकार करेगी।

श्री कपिलदेव:—तोपें बन्द होने से कुछ लोग यह समझते हैं कि यह अपशकुन है।

(हंसी)

श्री भवानी सहाय:—जब बचत का ही सवाल है तो कई ऐसी तोपें जो चला करती हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं है; उन्हें बन्द कर दिया जाय?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, क्या यह स्पीच दी जा रही है, राय दी जा रही है या प्रश्न पूछा जा रहा है?

माननीय अध्यक्ष:—नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज।

माननीय मंत्रियों द्वारा सरकारी कार चलाना

श्री माधोसिंह:—Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to State:

(a) Why Hon'ble Ministers are seen driving Government cars when there is a rule that such cars are not to be driven by anyone except the drivers of the Garage?

(b) Whether they will be stopped from doing so henceforward?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–यह ठीक है कि यह नियम बना हुआ है कि मोटर्स पर जो ड्राइवर नियुक्त किए हुए हैं उन्हें ही कार चलानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, जबकि ड्राइवर मौजूद न हों और किसी आवश्यक कार्य से कहीं जाना हो तो सम्भव है कि किन्हीं मंत्री महोदय ने ड्राइव करने का काम भी अपने ऊपर ले लिया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय जब अत्यन्त अनिवार्य हो जाता है कि उनके स्वयं चलाए बिना काम नहीं चलता तो ऐसा करने में उन्हें कोई शंका नहीं होगी। किसी सरकारी आवश्यक कार्य की पूर्ति के लिए अगर उन्होंने स्वयं ने ही ड्राइवर का काम करना स्वीकार कर लिया हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

श्री जसवन्तसिंह:–जब कभी माननीय मंत्रीगणों को किसी आवश्यक मजबूरी से मोटर चलाने की आवश्यकता हुई तो क्या उस दिन के लिए ड्राइवर की तनख्वाह भी वे लेंगे?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–जी नहीं।

श्री कानसिंह:–जब आपके आवश्यक कार्य में ड्राइवर मौजूद नहीं रहता तो क्या आप ड्राइवर से निजी काम भी करवाते हैं?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं?

श्री कानसिंह:–मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्राइवर क्या ऐसे टाइम पर दूसरे घरू काम में मशगूल रहता है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मेरा कहने का मतलब यह है कि ड्राइवर से कुछ फिक्स्ड समय के लिए ड्यूटी ली जाती है और मंत्री महोदय को किसी भी समय कहीं जाने--आने का आवश्यक कार्य हो सकता है; इसलिये ऐसे मौके पर वह काम कर लिया हो।

श्री माधोसिंह:–जो मंत्री महोदय गाड़ी चलाते हैं क्या वह लाइसेन्स-शुदा हैं?

माननीम श्री टीकाराम पालीवाल:–बिना लाइसेन्स के कोई मंत्री महोदय गाड़ी नहीं चलाते।

श्री कपिलदेव:–तो क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि जो अब से मिनिस्टर बनाए जाएंगे उनके बारे में यह ध्यान रखा जायगा कि वे मोटर चलाना जानते हैं कि नहीं?

माननीय अध्यक्ष:–नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज।

हाईकोर्ट को जोधपुर से जयपुर लाना

श्री माधोसिंह:-Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state whether:—

(a) the High court is being shifted from Jodhpur to Jaipur.

(b) If so, why?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—यह कहना गलत है कि सरकार हाई कोर्ट को जोधपुर से बदल रही है।

श्री माधोसिंह:—कई जिम्मेदार व्यक्तियों ने ऐसी बातें कही हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—जो ऐसी बातें कहते हैं वे जिम्मेदारी से नहीं कहते होंगे।

श्री माधोसिंह:—तो क्या यह मान लें कि वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—जी हां।

विधान कार्य

राजस्थान विध व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९५२ (पुरः स्थापन)

श्री कपिलदेव:-Mr. Speaker I introduce the Rajasthan Legal Practitioners' (Amendment) Bill, 1952.

संकल्प (रिजोल्युशन्स)

हिन्दी भाषा का राजकीय भाषा की भांति प्रस्वीकरण

माननीय अध्यक्ष:-There are two resolutions put by Shri Madho Prasad N. Pandit. They are of the same nature and so I would like that both the resolutions may be put together.

श्री जसवन्तसिंह:—श्री अध्यक्ष, इसके विषय में आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हमारे मित्र ने इस तरफ से एक और रिजोल्युशन भी पेश किया था कि अजमेर और आबू के विद्यार्थियों को सुविधायें दी जाय। उसका यहां कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ?

माननीय अध्यक्ष:—मैं इस हाउस की जानकारी के लिए यह बता दूं कि प्राईवेट मेम्बर्स के रिजोल्युशन्स आते हैं उनमें धारा ११४ के अन्तर्गत १५ रोज का नोटिस आवश्यक होता है और यदि उसको १५ दिन से कम के नोटिस पर लिया जाता है तो उसमें सम्बन्धित मिनिस्टर्स की रजामन्दी होने की आवश्यकता पड़ती है। जिन रिजोल्युशन्स की रजामन्दी सम्बन्धित विभाग से आ गई उनको हाउस के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। जिनकी स्वीकृति नहीं आई है उनको इन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया जा सका है ।

श्री जसवन्तसिंह:—इसके विषय में मैं फिर अर्ज करूं । कम से कम मैं राजस्थान विधान सभा के बारे में तो नहीं कह सकता लेकिन दूसरी जगह तो अगर किसी सदस्य का रिजोलूशन या क्वेश्चन मंजूर नहीं किया जाता है तो उसकी उनको इत्तिला दी जाती ह कि किस वजह से उनका रिजोलूशन मंजूर नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष:—सूचना जरूर भेजी गई।

श्री जसवन्तसिंह:—अभी तक उनके पास नहीं पहुंची है।

माननीय अध्यक्ष:—सरकार की ओर से कोई सूचना नहीं आई है कि उसको स्वीकृत किया गया है या नहीं, इसलिये सूचना नहीं भेजी गई है।

श्री जसवन्तसिंह:—यह तो सरकार और स्पीकर के आफिस के बीच की बात है; लेकिन प्राईवेट सदस्यों के अधिकारों पर आघात किया गया है। इस स्थिति का स्पष्टीकरण हाउस के सम्मुख किया जाय। यह नहीं कि जब चाहा तब अस्वीकार कर लिया। स्वीकार नहीं किया जाय तो उसकी इत्तला तो दे ही दी जाना उचित है।

माननीय अध्यक्ष:—अगर किसी मेम्बर के रिजोलूशन या सवाल का जवाब नहीं पहुंचता है तो उन्हें समझ लेना चाहिये कि वह हाउस में १५ दिन की समाप्ति के बाद हाउस में आ जायगा। तो मैं समझता हू कि पार्लियामेंट्री पद्धति के अनुसार उन्हें १५ दिन तक जवाब की प्रतीक्षा करनी ही चाहिए।

श्री माधवप्रसाद एन. पंडित:--Hon'ble Speaker, I move the following resolutions:—

> "This Assembly is of the opinion that Hindi language spoken by the people of Rajasthan may be recognised as an official language of this State and that the President of India may be requested to direct that Hindi language may be so officially recognised for all purposes mentioned in Article 348 (1)."

"This Assembly is of the opinion that His Highness the Rajpramukh of Rajasthan may with the previous consent of the President authorise the use of the Hindi language for all purposes mentioned in Article 348 (1) of Constitution of India except in the case of any judgment, decree or order passed or made by the High Court of Judicature in Rajasthan."

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-अध्यक्ष महोदय, हिन्दी को राज्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार पहले से ही प्रयत्नशील रही है।

अध्यक्ष महोदयः–डू यु वांट टू मेक ए स्पीच ओन इट?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः–It was simply for information.

माननीय अध्यक्षः–सभा के सामने प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, "इस सभा की सम्मति है कि राजस्थान की जनता द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा इस राज्य की राजकीय भाषा प्रस्वीकृत कर ली जाय और भारत के राष्ट्रपति से ऐसा आदेश देने की प्रार्थना की जाय कि हिन्दी भाषा, अनुच्छेद ३४८ (१) में उल्लिखित समस्त प्रयोजनों के लिए, राजकीय भाषा प्रस्वीकृत हो।"

दूसरा प्रस्ताव इस प्रकार हैः–

"इस सभा की सम्मति है कि राजस्थान के श्रीमन् राजप्रमुख, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ (१) में उल्लिखित, राजस्थान की उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट आफ जुडिकेचर) द्वारा पारित (पास) किये जाने वाले अथवा दिये जाने वाले किसी न्याय निर्णय, डिक्री अथवा ओर्डर के अतिरिक्त, समस्त प्रयोजनों के लिए, हिन्दी भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करें।"

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः-मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में लागू करने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार पहले से ही प्रयत्नशील रही है और जो प्रयत्न अब तक किए गए हैं और जिस स्टेज पर वह पहुंच चुकी है इस सम्बन्ध में तो मैं माननीय सदस्य से बात नहीं कर सका हूं। मैं बात करना चाहता था लेकिन मेरे निजी सचिव ने उनसे सारी स्थिति पर बातें कर ली थीं और मुझे यह बतलाया गया था कि माननीय सदस्य उस प्रगति से संतुष्ट हैं। राजस्थान सरकार ने उस पर काफी प्रगति कर ली है और बहुत जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण भी करना चाहती है। मैं यह मानता था कि सम्भवतः माननीय सदस्य मूल प्रस्ताव को यहां पेश करने की आवश्यकता नहीं समझेंगे।

श्री माधवप्रसाद एन. पण्डितः-मैं माननीय मुख्य मंत्री के विश्वास पर छोड़ता हूं। जैसा वे उचित समझें, करें। अगर उनकी इच्छा है कि सरकार इस ओर

प्रयत्नशील हैं और उनके प्रयत्न काफी आगे बढ़ चुके हैं तो यह प्रस्ताव वापस ले लिया जाय और मैं यह प्रस्ताव वापस ले लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष:--यू वांट टू विद्ड्रा दिस।

श्री माधवप्रसाद:-यस, सर।

माननीय अध्यक्ष:--सदन के सामने प्रश्न उपस्थित है कि यह जो संकल्प माननीय श्री माधवप्रसाद ने प्रस्तुत किए हैं उनको वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(आज्ञा प्रदान की गई)

श्री माधवप्रसाद:--मैं अपने प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री कपिलदेव:--क्या प्रस्ताव वापस लेने के लिए भी हाउस की इजाजत की आवश्यकता होती है?

माननीय अध्यक्ष:--प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है अत: उसको वापिस लेने की आज्ञा धारा १२३ के अनुसार सदन ही दे सकता है।

राजस्थान विध-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री कपिलदेव:--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लीगल प्रेक्टिश्नर्स अधिनियम इस सदन मे विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास:--माननीय अध्यक्षजी लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्ट में जो संशोधन श्री कपिलदेवजी ने रखा है उसकी सूचना सरकार को १५ रोज पहले धारा १७८ की मातहत मिलनी चाहिये। इसको विचारार्थ लेने में इस विषय में हाई कोर्ट की राय लेना जरूरी है क्योंकि वही लीगल प्रेक्टिश्नर्स के लिए रूल्स बनाता है। इसके अलावा यह भी सवाल है कि सनदों को दुबारा रिन्यु किया जाय। इसमें फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय लेना जरूरी है। जब तक दोनों महकमों की रायें न आजायें इस पर विचार करना ज्यादा मुनासिब नहीं इसलिये मैं श्री कपिलदेवजी से निवेदन करूंगा कि इस समय इसको विचारार्थ न रखकर आयन्दा के लिए रखें।

श्री कपिलदेव:--अध्यक्ष महोदय मुझे माननीय मंत्री महोदय की राय से इत्तफाक करने में कोई मुश्किल नहीं होती किन्तु प्रश्न सिर्फ यह है कि जिनके फायदे के लिए बिल पेश किया जाने वाला है और किया गया है अगर अगले सेशन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है तो पहले के सारे सर्टिफिकेट रिन्यु करवाने पड़ेंगे; वे एक साल के लिए होंगे। इसलिये यदि बाद में पास भी हो जायगा तो उनको जो फायदा

पहुंचने वाला है वह नहीं पहुंच सकेगा। अब भी सर्टिफिकेट मिलेंगे वे सिर्फ १२ महिने के लिये मिलेंगे। सनदें परमानेन्ट हैं उनके रिन्युअल की जरूरत नहीं। रिन्युअल की जरूरत थी तो वे जरूरतें रफा होजाती हैं। अगर बिल पेश नहीं होता है, अगले सेशन के लिये छोड़ दिया जाता है तो उनको पहले रिन्यु करवाना पड़ेगा। यह सिर्फ ५ महिनों के लिए होगा। माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें और सरकार द्वारा हाईकोर्ट को यह प्रार्थना करें कि जबतक यह अमेन्डमेंट एक्ट पास नहीं हो जाता तबतक सनदों के रिन्युअल की जरूरत नहीं; तो मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं होती और मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा।

श्री रामकिशोर व्यासः—लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट में जो संशोधन हो जायगा यदि यहां बिना हाईकोर्ट की राय लिये पास कर दिया जायगा तो यह कानून के विरुद्ध होगा। ऐसा किया जाना मेरी राय में ठीक नहीं होगा। वैसे भी यह नियम के अनुकूल नहीं है। धारा ७८ के अनुसार प्राइवेट मेम्बर का बिलः—

"Any private Member, desiring to move for leave to introduce a bill shall give 15 days notice of his intention and shall, together with his notice submit a copy of the bill and a full statement of objects and reasons.

इसमें समय सिर्फ दो रोज का मिला इसलिये इस पर विचार नहीं हो सका। मेरा निवेदन है कि इस बिल से सहानुभूति रखते हुए भी जब तक संबन्धित विभागों से इस सम्बन्ध में राय न लेली जाय तब तक सरकार को जिम्मेदार बनाना उचित नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि यह आयन्दा के लिए रखा जाय तो ज्यादा वाजिब होगा।

श्री कपिलदेवः—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कानून का सवाल है धारा ७८ का प्रश्न हीं नहीं उठता। इसके सम्बन्ध में रूल नं० ८१ स्पष्ट हैः—

" As soon as may be after a bill has been introduced the bill shall be published in the Gazette;

Provided that the Speaker may order the publication of any bill together with the statement of objects and reasons accompanying it in the Gazette although no motion has been made for leave to introduce the bill. In that case it shall not be necessary to move for leave and if the bill is not after wards introduced it shall not be necessary to publish it again."

लिहाजा अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय। यह बिल गजट में भी पब्लिश हो चुका है इसलिये धारा ७८ का प्रश्न ही नहीं उठता। धारा ७८ की तहत कोई पर्मिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती

जब यह बिल गजट में आपकी आज्ञा से पब्लिश हो चुका है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट और हाईकोर्ट की सलाह मशविरा करना है उसके लिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी अर्ज है कि लेजिस्लेचर एक सोवरिन बोडी है। यह गवर्नमेन्ट का बिल नहीं, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट या अन्य किसी डिपार्टमेन्ट से पूछने की आवश्यकता नहीं; प्राइवेट मेम्बर का बिल है। मुझे हाईकोर्ट और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। आप कहते हैं कि गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि नोटिफिकेशन को जारी करदें कि ६ महिने के लिए रिन्यूअल को स्टोप कर दें; इसलिये कन्सीडरेशन में न लिया जांय। अगर सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय तो मुझे किसी तरह की आनाकानी नहीं होगी। इन सब बातों में कोई भी ऐसी बात की जरूरत नहीं रहती कि आयन्दा सर्टिफिकेट १२ महिनों के लिए मिलेंगे।

श्री हरिदत्त:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कपिलदेवजी ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को पूछने की आवश्यकता नहीं। सनदों के सर्टिफिकटों के लिए हाईकोर्ट को तमाम रियासतों से रुपया दिया जा चुका है। दुबारा हाईकोर्ट रिन्यूअल के लिए रुपया लेती है, तो ज्यादती है। इसलिये यह सवाल नहीं देखा जाना चाहिये।

हाईकोर्ट से जो सर्टिफिकेट दिये जाते है वे हाईकोर्ट मुनासिब समझे, उचित समझे तो उससे पूछा जाय और इस बिल को विचारार्थ लिया जाना चाहिये।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मुझे जो कुछ मेरे मित्र श्री कपिलदेवजी ने कहा है उस पर ऐतराज है। मैं यह मानता हूं कि ऐसे इम्पोर्टेन्ट बिल चाहे वे दिखने में छोटे ही मालूम होते हों फिर भी हाईकोर्ट से सलाह मशविरा किये बगैर हाउस में नहीं आने चाहिये। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इस बिल को गजट में पब्लिश कर दिया गया है इसलिये १५ दिन के नोटिस की शर्त इसमें लागू नहीं होती है। यह बिल किसी गजट में पब्लिश नहीं किया गया है। यह बिल लिस्ट ओफ बिजनेस में दे दिया गया है। यह गजट में पब्लिकेशन नहीं माना जा सकता है। इसलिये १५ दिन की शर्त जो कानून में है, लागू होती है। इसके अलावा इसके संबन्ध में हाईकोर्ट से पूछा जाना चाहिये। हाईकोर्ट हमारे यहां की जुडिशियरी है और हाईकोर्ट के रिप्रेजेन्टेटिव हमारे यहां नहीं हैं इसलिये उनको पूछना बहुत जरूरी है। इसलिये जब तक दोनों शर्तें पूरी नहीं हो जावें इसको यहां लेना ठीक नहीं। मैं यह समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये।

श्री कपिलदेव:—शायद माननीय सदस्य के पास गजट की कोपी नहीं पहुंची होगी। मैं हमेशा गजट सबस्क्राइब करता हू और मेरे गजट आते हैं और मैं जानता हूं कि आया यह गजट में शाया हुआ है या नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक कोपी आपके पास भेजता हूं; इसलिये मैंने जो बात रखी है वह सही है।

Shri Gopilal Yadav:—On the point of information, Sir,

Is this in the Gazette Notification.

Shri Chhotu Singh:—I think my Hon'ble friend himself is not aware whether it is a Gazette or not.

Certainly it is so.

Hon'ble Speaker:—To Shorten his discussion I inform the Hon'ble Member that this has been published in the Rajasthan Gazette,

Shri Kapil Deo:—I think it is not necessary to move fo leave and if the bill is, however introduced it shall not be necessary to publish it again. And if any bill is published in the Gazette no leave is necessary. In that case, I do not think Section 78 comes into play at all.

.......में इनसे यह पूछना चाहता हूं कि पिटीशनरों को जो सनदें मिली हैं वे लोकल प्रेक्टिस करने के लिये मिली होंगी। क्या उन लोगों ने जिन्होंने फीस हासिल करके सनदें हासिल की हैं और लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं उनको बन्द कर दिया जायगा।

श्री कानसिंह:—इस पर तो बहस से ही विचार हो सकता है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—श्री कपिलदेव ने जो रूल अभी बतलाया था, उसका मतलब ठीक नहीं निकला है। रूल ७९ यह साफ व्यक्त करता है कि किसी बिल के लिये १५ दिन का नोटिस होना चाहिये। दफा ८१ सिर्फ यह बतलाता है कि बिल हाउस में इन्ट्रोड्यूस होने के बाद चाहे वह गवर्नमेन्ट गजट में पहले छाया कराया जावे या बाद में कराया जावे, दफा ७८ के माफिक १५ दिन की सूचना मिलना आवश्यक है। दफा ८१ दफा ७८ को ओवररूल नहीं करती है।

दूसरी बात, मेरे मित्र श्री गोपीलालजी यादव ने कहा कि यह गजट में पब्लिश नहीं हुआ है। इसमें कोई राजस्थान राज-पत्र में जिस प्रकार नम्बर और तारीख आदि दिये रहते हैं, नहीं है।

तीसरी बात जिस प्रकार मैंने पहले अर्ज किया कि जिस किसी बिल में किसी प्रकार फाइनेन्स का सम्बन्ध हो उसके लिये फाइनेन्स से राय लेना लाजमी है। इसलिये जहां तक ऐसा नहीं किया जाए इस पर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। इसलिये इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष:—टू कट दी मेटर शोर्ट आई वान्ट टू से देट दिस हैज बिन पब्लिश्ड इन दी गजट।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—फिर भी जो बातें कानून में है वे तो ज्यों की त्यों रहती हैं।

श्री कपिलदेव:—अभी माननीय मंत्री महोदय नें यह फरमाया कि बिल के इन्ट्रोड्यूस होने से पहले चाहे तो गवर्नमेन्ट गजट में पब्लिश करा सकते हैं; लेकिन उसके दूसरे पैरा में जो लिखा है उसको नहीं देखा है। उसमें साफ लिखा है। दफा ७८ सिर्फ लीव टू इन्ट्रोड्यूस के लिये है लेकिन जब वह गजट में पब्लिश होजाता है तो दफा ७८ का कुछ भी वजन नहीं रहता। इसलिये जो आप यह कहते हैं कि दफा ७८ और ८१ में नोटिस के लिये लिखा है, ठीक नहीं है। ताहम भी यदि आप इस बात के लिये जोर देते हैं तो मेरे पास सिवाय इसके कि इसको सिलेक्ट कमेटी मे भेजा जावे दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। जो भी आप इस सम्बन्ध में चाहें मानने के लिये तैयार हूं।

(विराम)

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्न-लिखित सज्जनों की एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाय:—

१. माननीय श्री रामकिशोर व्यास
२. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
३. श्री दामोदर व्यास
४. श्री तेजमल बापना
५. श्री गोपीलाल यादव
६. श्री हरिदत्त
७. श्री कानसिंह
८. श्री श्रीदास गोयल
९. श्री खेतसिंह
१०. श्री जवानसिंह
११. कं श्री तेजसिंह, तथा
१२. मैं स्वयं

इस सिलेक्ट कमेटी का कोरम ५ सदस्यों का होगा।

माननीय अध्यक्ष:—Motion moved. The question before the House is that the bill introduced by Shri Kapildev to amend the Indian Legal Practitionerds' Act (1879) be referred to Select Committee so as to submit its report before the commencement of the next Session of the Assembly and Hon'ble Shri Ramkishore Vyas to be Chairman of the Select Committee. The Quorum of the Committee will be five and the names of the members of the Select Committee would be as suggested by Shri Kapildeo.

(प्रस्ताव स्वीकृत)

आबू का प्रश्न

श्री मोहब्बतसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं कि जब मैंने १० तारीख को आबू के विषय में प्रस्ताव लाने की सूचना दी थी और मेरे मित्र श्री त्यागी ने उसके बाद में सूचना दी तो इस एजेंडा में उनका प्रस्ताव तो किस तरह आया और मेरा प्रस्ताव क्यों नहीं आया।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि मैंने दोनों ही माननीय सदस्यों से बातें की थी और दोनों ने ही स्वीकार किया था कि दोनों ही मूव नहीं करेंगे। ऐसी दशा में कौन सा आया और कौन सा नहीं आया इसका प्रश्न ही नहीं रह जाता है। एक बात इस सम्बन्ध में मैं और निवेदन कर दूं कि जिस समय मैं अपने आफिस में काम कर रहा था, मेरे निजी सचिव ने कहा था कि ऐसे प्रस्ताव आ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या कहना है तो मैंने उनसे कहा था कि मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। ततपश्चात् मैंने दोनों माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में बातें की और इसका निश्चय हो गया था कि वे दोनों ही प्रस्ताव नहीं करेंगे। शायद गल्ती से ही वेदपालजी का प्रस्ताव भी आ गया है।

शासकीय कार्य

राजस्थान लघु सिंचाई निर्माण विधेयक १९५२

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान माइनर इरिगेशन वर्क्स बिल, १९५२, को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय और उस कमेटी के लिये मैं निम्नलिखित नाम पेश करता हूं:—

१. श्री दामोदरलाल व्यास	२. श्री वेदपाल त्यागी
३. श्री छोटूसिंह	४. श्री शिवदानसिंह
५. श्री बद्रीलाल	६. श्री हरिदेव जोशी
७. श्री चन्दनमल	८. श्री संग्रामसिंह
९. श्री सरदारसिंह	१०. श्री राजा मानसिंह
११. श्री खेतसिंह	१२. श्री राजा हिम्मतसिंह
१३. श्री नरसिंह कछवाहा	१४. श्री भैरुंसिंह

दो माह के अन्दर ही इसकी रिपोर्ट तैयार करदी जावे।

इसका कोरम ५ सदस्यों का प्रस्तावित करता हूं।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुल मिलाकर १७ सदस्य होंगे, इसके लिए मैंने १४ नाम प्रस्तुत किये हैं और ३ इसके साथ ही नाम लगेंगे जैसा कि रूल्स की धारा ८५ में एडवोकेट जनरल, डिप्टी स्पीकर या चेयरमेन तथा एक और सदस्य होंगे। इस तरह कुल १७ सदस्य होंगे। इसकी भी मैं स्वीकृति चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि राजस्थान में लघु सिंचाई निर्माण की रचना, सुधार तथा संधारण के लिये व्यवस्था करने वाला विधेयक सिलेक्ट कमेटी को, जिसमें श्री दामोदरलाल व्यास, वेदपाल त्यागी, छोटूसिंह, शिवदानसिंह, बद्रीलाल, हरिदेव जोशी, चन्दनमल, संग्रामसिंह,

सरदारसिंह, राजामानसिंह, खेतसिंह, राजाहिम्मतसिंह, नरसिंह कछवाहा, श्री भैरूसिंह तथा एडवोकेट जनरल और सम्बन्धित मंत्री महोदय इसके सदस्य होंगे तथा जिसका कोरम ५ सदस्यों की उपस्थिति का होगा, और इसकी रिपोर्ट २ मास के अन्दर उपस्थित हो जायगी, को प्रतिपेषित किया जाय।

श्री कानसिंह:–अध्यक्ष महोदय, मैं इत्तिला के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी के अन्दर जो भैरूसिंहजी का नाम लिया गया है इस सदन के अन्दर कई एक भैरूसिंहजी मेम्बर हैं।

श्री जसवन्तसिंह:–भैरूसिंहजी, दांतारामगढ़

श्री भवानीसहाय:–हू इज दी चेयरमैन आफ दिस कमटी?

माननीय अध्यक्ष:–मिनिस्टर इंचार्ज

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९५२

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–माननीय अध्यक्षजी, माननीय श्री नाथूरामजी मिर्धा किसी आवश्यक सरकारी कार्य से दिल्ली गये हुए हैं और मुझे इजाजत दे गये हैं कि इस बिल को मैं उनकी तरफ से पेश कर दूं। अगर आप इजाजत फरमायें तो मैं पेश कर दूं।

माननीय अध्यक्ष:—यस प्लीज़।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–मैं बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९५२, को इस सदन के सामने विचारार्थ पुरःस्थापित करता हूं।

इस विधेयक में एक बहुत ही आवश्यक संशोधन है। बीकानेर म्युनिसिपल एक्ट जो संशोधित होगा उसकी दफा ३५ के अनुसार, वहां म्युनिसिपल एग्जिक्यूटिव अफसर हैं उनको २० रुपये तक के अधिकारियों को नियुक्त, बर्खास्त या मुअत्तिल करने के अधिकार दिये गये हैं। चूंकि अब तनख्वाहें बढ़ गई हैं और ३० रुपये से कम का कोई मुलाजिम ही नहीं है, इसलिये यह तजवीज की गई है कि बजाय २० रुपये के ५० रुपये तक के मुलाजिम रखने के अख्त्यारात उनको दिये जायं। ऐसा विधेयक में पेश करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:–प्रश्न यह है कि:–

बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक १९५२ को विचारार्थ लिया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–कोई साहब इस पर बोलना चाहें तो बोलें।

माननीय अध्यक्ष:–क्या कोई सदस्य इसके सिद्धान्तों पर कुछ कहना चाहते हैं?

(Clauses 2 and 1 and Short Title and the Enacting Formula were added to the Bill)

(कोई नहीं बोला)

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–मैं यह अर्ज करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाय।

माननीय अध्यक्ष:–प्रश्न यह है कि बीकानेर नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९५२ को पास किया जाय।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)
विधेयक पारित हुआ
(९, ४० पर उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष–पद ग्रहण किया)

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२

(विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष:–श्री रामकिशोर व्यास बिल मूव दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एन्ड ओफिसर्स एमाल्यूमेन्ट्स) बिल, १९५२।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–माननीय अध्यक्षजी,

(विचार जारी)

श्री कपिलदेव:–ओन दी प्वाइन्ट आफ इन्फरमेशन सर। दी बिल हैज आलरेडी बीन मूव्ड।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास–माननीय अध्यक्षजी, इट हैज आलरेडी बीन इन्ट्रोड्यूस्ड; आई विश टू मूव इट फौर कन्सिडरेशन।
मैं राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२, को हाउस के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:–प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२, विचारार्थ लिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव:–मैं यह मूव करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो रूल्स लागू किये हैं उसमें प्रोवीजन है सिर्फ सिलेक्ट कमेटी का। लेकिन हमारे

भारतीय विधान के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि जहां भी इस तरह के रूल्स मुकम्मिल नहीं बने हों व क्लियर नहीं बने हों तो वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के रूल्स के मुताबिक काम चलाया जा सकता है। यह बिल जो आपके सामने पेश किया गया है यह एक मनी बिल है और हर एक मनी बिल हाउस की एक कमेटी की स्टेज से पास होना चाहिये। इट मस्ट पास थ्रू दी हाउस-कमिटी स्टेज। इसलिये में यह मूव करता हूं कि इस बिल को हाउस-कमिटी के सुपुर्द किया जाय और उसकी रिपोर्ट के बाद ही इस सदन में उस पर विचार किया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी:—ऑन दी प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त ने यह जो कहा है कि विधान में इस प्रकार का प्रोविजन है कि अगर कोई रूल्स में प्रोवीजन नहीं हो तो इंग्लैण्ड की जो पार्लियामेन्ट है उसके नियमों के अनुसार हो। तो यह तो प्रिविलेजेज आफ दी हाउस के लिए है न कि और किसी चीज के लिए।

श्री हरिदत्त:—क्या हाउस की जानकारी के लिए वह पढ़कर सुना दिया जायगा ?

श्री कपिलदेव:—ऑन दी प्वाइन्ट ऑफ इनफोरमेशन, सर। अब तक जिस किताब में यह प्रिविलेजेज लिखे हुए हैं उसके लिये मुझे यह अर्ज करना है कि वह किताब अभी लाइब्रेरी में आई ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष:—वह बिल पर लागू नहीं होता ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अध्यक्ष का रूलिंग होगया है कि यह मनी बिल नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह मनी बिल नहीं है तो मैं यह मूव करता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:—दि मोशन फॉर सिलेक्ट कमेटी केन ओनली बी मूव्ड........

श्री गोपीलाल यादव:—रूल ८४ का सब रूल २ "If the Member-in-charge moves that his bill be taken into Consideration any member may move as an amendment that the till be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion".

[redacted]

अब इस वक्त मूव किया गया। हरेक मेम्बर को अधिकार है कि वह यह मूव करे जैसा कि पहले बिल के लिए किया गया है कि यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। यह मैं मूव करता हूं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, रूल ८३ के शब्द बहुत साफ हैं। इसे एक बार फिर पढ़ कर सुनाता हूं :—

"No Motion that a bill be taken into Consideration or be passed shall be made by any member other than the Member-in-charge of the bill and no motion that a bill be referred to a Select Committee or be circulated or recirculated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the Member-in-charge except by way of amendment to a motion made by the Member-in-charge".

इस वक्त सिलेक्ट कमेटी को रेफर सिवाय मेम्बर इन्चार्ज के और कोई नहीं कर सकता; अमेन्डमेंट अलबत्ता दूसरे माननीय सदस्य पेश कर सकते हैं। अमेन्डमेन्ट के लिये पहले नोटिस होना चाहिये। इस समय, ओन दी फ्लॉर ऑफ दी हाउस, कोई अमेन्डमेन्ट नहीं किया जा सकता।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था इस बिल को पेश करने का उद्देश्य विधान की धारा १८६, २३८ के अन्दर दर्ज है कि धारा सभा का विधान है कि वह अपने पदाधिकारी तथा सदस्यों के लिये वेतन और भत्ता सम्बन्धी नियम बनाये। विधान की इन धाराओं के अनुसार यह विधेयक इस सदन के सामने रखा गया है। इस विधेयक को बनाते समय सरकार के सामने सभी बातें विचाराधीन थीं। जो वेतन और भत्ते सदस्यों को, माननीय अध्यक्षजी को और माननीय उपाध्यक्ष को नियुक्त किये गये हैं उसमें और भिन्न भिन्न प्रान्तों के लिए क्या भत्ते और क्या वेतन हैं उन पर पूरी तरह विचार करके यह रखा गया है। संभव है बहुत से लोगों को यह वेतन या भत्ता कम मालूम हो, संभव है बहुत से लोगों को यह ज्यादा मालूम हो और सरकार ने यह बिल पेश किया है इससे सहमत न हों; लेकिन सरकार ने समस्त प्रान्तों के वेतन और भत्तों पर विचार करके, यह पेश किया है।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अमेन्डमेन्ट का सवाल हल हो गया है। चेयर की तरफ से यह रूलिंग होगया है कि लोगों को डिसकशन के लिए मौका दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष:–बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज सामने है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–इस बिल पर जब मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा था उस वक्त उसके उद्देश्य आपके सामने पेश कर रहा था कि बीच में ही माननीय सदस्य बोल उठे और तजवीज पेश करदी और बीच में कई

चीजें आगई। मैं इन्ट्रोडक्शन के साथ में अधिक बातें पेश नहीं कर सका था। हाउस को मालूम हो जायगा कि यह बिल सरकार ने बहुत सोच विचार कर रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष:–सिलेक्ट कमेटी का मोशन आगया है; उस पर वाद विवाद होना चाहिये।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–माननीय अध्यक्ष, मैं बोल ही रहा था कि एक माननीय सदस्य ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। मैं माननीय उपाध्यक्ष की नजर में नहीं आ सका।

श्री जसवन्तसिंह:–क्या अमेन्डमेन्ट मूव नहीं किया जा सकता?

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मैंने एक बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि धारा ८३ में स्पष्ट है कि इस स्टेज पर मेम्बर इन्चार्ज के अलावा कोई भी यह अमेन्डमेन्ट मूव नहीं कर सकता। रूल में यह भी प्रोविजन है कि अमेन्डमेन्ट का मोशन और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का मोशन कोई भी माननीय सदस्य कर सकते हैं किन्तु उसमें नोटिस की आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई अमेन्डमेन्ट इस समय लागू नहीं किया जा सकता; न सिलेक्ट कमेटी के रूप में और न किसी अमेन्डमेन्ट के रूप में–किसी तरह भी नहीं आ सकता।

श्री जसवन्तसिंह:–अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्री ने जैसा फरमाया दुरुस्त है। रूल ९७ को मुलाहिजा करें तो यह स्पष्ट है कि स्पीकर को पूरा डिस्क्रिशन दिया है वह अमेन्डमेन्ट मूव करने की आज्ञा दे सकते हैं।

श्री कपिलदेव:–माननीय अध्यक्षजी, प्रश्न यह है कि बिल के अमेन्डमेन्ट के लिए प्रिवियस नोटिस की जरूरत होती है। तब रूल ९७ भी काम में आ सकता है। ९७ में अमेन्डमेन्ट एप्लाई होता है किन्तु बिल का अमेन्डमेन्ट नहीं। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि मैं इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के पक्ष में हूं या विपक्ष में; मगर जो कानून है उसके अनुसार तो प्रीवियस सेंक्शन आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष:—इसमें प्रीवियस सेंक्शन की कोई आवश्यकता नही है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, हाउस सिलेक्ट कमेटी के बारे में कोई निर्णय दे इससे पहले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक साधारण बिल है और इस बिल को पास करने की जरूरत भी मानी गई थी क्योंकि बहुतसे सदस्य...

श्री अवनीकुमार:— अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि रूलिंग देने के बाद में भी कोई कह सकता है ?

[redacted]

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—अभी तक इस संबन्ध में कोई रूलिंग नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष:–सिलेक्ट कमेटी को रैफर करने की बात है। इसमें हाउस अपनी राय देगा। यह जो हो रहा है दफा ८२ के माफिक ठीक है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया तो निश्चय रूप से बहुत से सदस्यों को असुविधा हो जावेगी। सिलेक्ट कमेटी को रैफर करने का इस बिल का मतलब होगा कि यह बिल इस सेशन में पास नहीं होगा और उसका फल होगा कि जो टी. ए. और. डी. ए. आदि मेम्बरों को ४० दिन से पहले मिलने चाहिये, नहीं मिल सकेंगे और अगले सेशन तक सब को इन्तजार करना पड़ेगा और जो कुछ उन्होंने अभी खर्च किया है और आयन्दा खर्च करेंगे उसके लिये उनको बहुत तकलीफ होगी। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस बिल को, जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया है दूसरे प्रान्तों में जिस प्रकार के रूल्स हैं उनको स्टेडी करके बनाया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं यदि इस पर कोई वाद विवाद करना हो तो कर लिया जावे। इसको ४-६ महिनों के लिये पोस्टपोन करना हाउस के सदस्यों के साथ कोई न्याय नहीं होगा और यहां बिजनेस में भी बाधा पड़ेगी और बहुत से माननीय सदस्यों की रुचि कम हो जावेगी। मैं यह समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द नहीं किया जावे और इस पर बहस की जावे। ४–६ महीने बाद इसको मूव किया जावे यह ठीक नहीं। यह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि जैसे आयें वैसे जावें।

श्री हरिदत्त:— मैं समझता हूं जब तक इसका निर्णय न हो यों ही जावेंगे।

श्री जसवन्तसिंह:–अभी मेरे मित्र, चीफमिनिस्टर ने जो कहा उस संबन्ध में मुझे दो चार शब्द कहने हैं। उन्होंने यह कहा कि सरकार ने सब तरह से दूसरे प्रान्तों के रूल्स को स्टेडी करके बनाया है। मैं यह कहूंगा कि यह अमूमन देखा गया है कि जब किसी की सरकार बन जाती है तो उसका दृष्टिकोण दूसरा हो जाता है और दूसरे सदस्यों का दृष्टिकोण दूसरा हो जाता है। इसलिये यह तो ठीक है कि सरकार ने तो बहुत विचार कर किया है मगर फिर भी इस पर और भी ज्यादा विचार करने की गुंजायश है। इसलिये इसका सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द होना जरूरी है। माननीय सदस्यों को कठिनाइयें महसूस करनी पड़ेगी क्योंकि एसेम्बली का सेशन खत्म होरहा है। उनको वेतन और एलाउन्स उसी प्रकार से दिये जाए जिस प्रकार पंजाब में दिये जाते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने पंजाब के बिजनेस रूल्स अपने यहां पर लागू किये हैं। फिल हाल उसी के माफिक एलाउन्स और भत्ते दिलाये जावें जितने वहां मिलते हैं। उस समय तक सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार कर लेगी और अपना निर्णय दे देगी। इसलिये यह कहना कि सदस्यों को बहुत असुविधा होगी खाली हाथ जाएंगे यह तो कोई ठीक बात नहीं है। जबकि हम पंजाब के रूल्स दूसरी बातों में मानते हैं तो उसके माफिक एलाउन्स दे दिया जावे। आयन्दा जो हाउस मंजूर करेगा वही दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: सिलेक्ट कमेटी अपना निर्णय जल्दी भी दे सकती है।

एक सदस्य:–सिलेक्ट कमेटी महिने बाद अपना निर्णय दे या ६ महीने बाद दे।

[redacted]

श्री कपिलदेव:–क्या इस पर विचार खत्म कर दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष:–आपको अगर इस पर बोलना है तो आप बोल सकते हैं ।

श्री कपिलदेव:–अभी माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने जो बातें कही हैं मैं उनका विरोध करता हूं और इस संबन्ध में दो चार बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। पहली स्टेज कन्सिडरेशन की स्टेज होती है । उस पर यदि एक संशोधन सिलेक्ट कमेटी के रूप में पेश किया जावे तो एक ही प्रश्न सामने आता है और वह यह कि आया हम इस बिल के सिद्धान्तों पर सहमत हैं या नहीं । सिद्धान्तों से सहमत होना या नहीं होने के लिये हमें यह देखना है कि जितने भी इस बिल की अलग अलग धाराओं पर संशोधन आये हैं उनमें किन्हीं में भी इस बिल के सिद्धान्तों का विरोध नहीं किया गया है; केवल इसमें जो रकम है उसमें कहीं कम और कहीं बेसी करने के लिये संशोधन उपस्थित किये हैं। माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी संशोधन पेश किया है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे इससे यह पाया जाता कि बिल के सिद्धान्तों का विरोध कर रहे हैं । जिसके लिये हमको हमारा कोन्स्टीट्यूशन भी इजाजत नहीं देता ।

हमारे संविधान में भी, जिस प्रकार अभी हमारे माननीय न्याय मंत्रीजी ने बताया कि ऐसी धाराएं हैं जिनमें एसेम्बली को अधिकार दिया गया है कि हम अपने भत्ते और तनख्वाहें आदि के बारे में कानून बनाएं । ऐसी हालत में यह संशोधन विधान के विपरीत है और यह संशोधन वापिस होना चाहिये ।

श्री हरिदत्त:–माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान सेक्सन ८४ की तरफ दिलाना चाहता हूं और इस संबन्ध में यह कहूंगा कि इसको अवश्य ही सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये। इस बात को मैं बहुत जोर से कहूंगा कि जब यह सिलेक्ट कमेटी में जाएगा उसी समय उसके अन्डर लाइंग प्रिंसीपलों पर बहस हो सकती है। इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त भी इस पर एक एमेन्डमेन्ट ऐसा ह जो इसके प्रिन्सिपल्स को टच करता है; इसलिये ऐसी सूरत में सिलेक्ट कमेटी मुकर्रर होने पर इसके प्रिन्सिपल्स डिसकस हो जायेंगे और हाउस के कुछ माननीय सदस्य इसमें कमी करने के और कुछ बढ़ाने के फेवर में हैं ये सब बातें सिलेक्ट कमेटी अच्छी तरह से डिसकस कर लेगी। यह कोई पार्टी का पाइन्ट नहीं ह कि सिलेक्ट कमेटी होनी चाहिये या नहीं । इस वक्त जो हाउस का ट्रेन्ड है और जैसी डिबेट हो रही है उसको देखते हुवे यही अच्छा होगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री गोपीलाल यादव:–आइ थिंक ओनली सिक्स अवर्स विल डू (मैं समझता हूं कि इसके लिये केवल छः घंटे काफी होंगे ।)

श्री कपिलदेव:–यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं इस पर मैं विरोध करता हूं । जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बताया, यदि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता ह और उसकी रिपोर्ट बहुत दिनों तक नहीं आती तो बहुत से माननीय

सदस्य जो हाउस के इस तरफ बैठे हैं दुविधा होगी। विरोधी दल के नेता ने अपनी पार्टी का ध्यान रखते हुए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहा क्योंकि विरोधी दल के माननीय सदस्यों में से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें यदि ६ महीने तक भी कुछ नहीं मिले तो परवाह नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह:—मैं जरा स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। फिलहाल हमने पंजाब के रूल्स माने हैं; तो भत्ते आदि के मामले में पंजाब के अनुसार ही दे दिया जाय यह मैंने कहा था।

श्री कपिलदेव:—मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पंजाब के अनुसार देने के लिये भी प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी। खुद विरोधी दल के नेता यह तय करदें कि जब तक यहां तय नहीं हो तब तक इतना फिक्स भत्ता दे दिया जाय तो भले ही इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजें तीसरा सवाल यह है कि बहुत सारे माननीय सदस्यों के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन्स आये हैं। यदि यह छः महीने तक पास नहीं हो सका तो और पोस्टपोन हो जाता है तो अनर्थ हो जायगा; वे बिल्कुल डूब जायेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह अधिवेशन खतम हो, उससे पहले यह तय हो जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास:—अध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने माननीय सदस्य श्री गोपीलाल यादव ने प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। मेरा यह निवेदन ह कि यह प्रस्ताव आउट ओफ ओर्डर है। जो बाइलाज एसेम्बली के लिये बनाये गये हैं उनकी दफा ८२ के अनुसार यह अधिकार उस शख्स को हासिल है जिसने इस बिल को मूव किया है और कोई दूसरा सख्श इसे मूव नहीं कर सकता।

माननीय उपाध्यक्ष:—इस विषय में बात हो चुकी है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—यह इस वजह से भी ठीक नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम भी नहीं बताये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष:—इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये या नहीं यह प्रश्न है; नाम तो आजायेंगे।

श्री मानसिंह:—आपत्ति जब स्पीकर बोल रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री को बोलना चाहिये ? -

श्री रामकिशोर व्यास:—जब मैं खड़ा हूं तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिये।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि सिलेक्ट कमेटी में इसे भेजने के बारे में जो प्रस्ताव रखा गया है वह खिलाफ कानून है।

श्री कानसिंह:-जब माननीय स्पीकर ने यह रूलिंग दे दी है कि सिलेक्ट कमेटी का मोशन चेअर से मंजूर कर लिया गया है तो फिर बार बार क्या बात है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह सिलेक्ट कमेटी में जा सकता है या नही।

माननीय उपाध्यक्ष:–देट हेज बीन हर्ड (वह सुनलिया गया है)

यह मैंने कह दिया है अब यह सिलेक्ट कमेटी के सामने जाना चाहिये या नहीं यह सवाल तय करना है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना जरूरी समझता हूं। मोशन इन ओर्डर नहीं है क्योंकि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम नहीं दिये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष:–श्री गोपीलालजी नाम दे दें।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मोशन इन ओर्डर नहीं है।

श्री गोपीलाल यादव:–मैंने अपने मोशन के साथ यह कह दिया था कि सिलेक्ट कमटी के नाम दे दिये जायेंगे। मैं कई रोज से देख रहा हूं कि इतना कह दिया जाता है कि सिलेक्ट कमेटी में फलां बिल भेजा जावें और नाम कंसलटेशन के बाद फिर दिये जाते हैं। मैं कमेटी के परसनल्स के नाम पेश कर रहा हूं।

श्री छोटूसिंह:–उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने इमोल्युमेन्ट बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो अमेन्डमेन्ट पेश है उसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय श्री उपाध्यक्ष:–यह जो एमेन्डमेन्ट तजबीज किया गया है उसका प्रपोजल रखने दीजिये।

श्री छोटूसिंह–अब तक जो बहस होरही थीं वह एमेन्डमेन्ट पर नहीं थी।

माननीय उपाध्यक्ष:–एमेन्डमेन्ट इस स्टेज पर हो सकता है या नहीं निर्णय करने का सवाल था। एमेन्डमेन्ट हो सकता है यह निर्णय दे दिया गया है। अब एमेन्डमेन्ट प्रोपर फोर्म में आयेगा और फिर इसका विरोध हो सकता है। पहले प्रिन्सिपल डिसकस किया गया था कि एमेन्डमेन्ट पेश किया जासकता है या नहीं।

श्री जसवन्तसिंह:–उपाध्यक्षजी, इसके मुतल्लिक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो सिलेक्ट कमेटी के अमेन्डमेन्ट पर वोट लेने के पहले हम दोनों मिलकर रस्सा कसी करलें। अगर जीत जावें तो सिलेक्ट कमेटी में आ जाय।

श्री छोटूसिंह:–अध्यक्ष महोदय, क्या हमारी अक्ल का इतना दिवाला निकल गया है कि रस्सा कसी करने का मौका आ रहा है।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं कमेटी के लिए निम्न लिखित नाम पेश करता हूं:—

(१) श्री गोपीलाल यादव, (२) श्री कानसिंह, (३) श्री हरिदत्त, (४) श्री भैरोंसिंह, (५) श्री खेतसिंह, (६) श्री जवानसिंह, (७) श्री चन्दनमल (८) श्री रामदयाल, (९) श्री घासीरांम यादव, (१०) श्री मोहम्मद इब्राहिम, (११) श्री तेजमल बाफना और (१२) मिनिस्टर इंचार्ज (१३) एडवोकेट जनरल ।

श्री कपिलदेव:—अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा सकता है। इसको आधा घंटा हो गया है। अभी जो इन्होंने नाम दिए हैं उसके बाद से इसकी बहस नियमित रूप से चालू की जायगी तो और आधा घंटा लगेगा । तो अब जो बहस चलेगी वह कानूनी होगी और बीच में जो बहस हुई उसको क्या अनियमित समझा जायगा, या अनियमित करार दिया जायगा?

माननीय उपाध्यक्ष:—इस बहस के बारे में कह दिया गया है। अब आपको इस रिजोल्युशन के बारे में जो कुछ कहना हो वह कहिये।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी से अपना नाम वापिस लेता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष:—आप जोर से बोलिए क्या आप सिलेक्ट कमेटी में नहीं रहना चाहते?

श्री रामदयाल उपाध्याय:—जी हां, मैं सिलेक्ट कमेटी में नहीं रहना चाहता ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय उपाध्यक्ष, चूंकि इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हो रही है। श्रीमान् इसकी आज्ञा दे दें और चूंकि यह अमेन्डमेन्ट है इसलिये राइट आफ रिप्लाई नहीं होता। इसलिये पहले मैं बोलूं। इसके बाद दूसरे मित्र बोलेंगे और फिर गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब दिया जायगा। तो मैं इस हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से मामल ऐसे होते हैं जिनके पोइंट को टच करना ही पड़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि हम सब साथ मिलकर, बैठकर आवश्यक सवालों को तय करते हैं और ऐसे सवालों के अन्दर यह लाजमी हो जाता है कि हम कमेटी में बैठकर ऐसे सवालों पर विचार करें, इस बात को छोड़कर कि हम किसी पार्टी और दल के हैं। क्योंकि जब तक हम हाउस के अन्दर ऐसे अहम मसलों पर भी यह नहीं सोचेंगे कि हमको मिलकर किसी चीज पर विचार करना है, किसी एक बात के ऊपर आ जाना है तो मैं यह बता देना चाहता हूं अपने मित्रों को, जिनके विचारों

से मालूम होता है कि वे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द इसे करने को तैयार नहीं है; मैं उनको बता दूं कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी हाउस के सामने आयेगी और उसके बाद भी हाउस की मर्जी हो तो उसको पास करे या न करे। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जो पर्सोनल्स हैं, उनमें भी, उनके अन्दर के ही, ज्यादा होने जा रहे हैं इसलिये भी साधारणतः यह पास न हो। उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह ऐसी बात है जो मिनिस्टरों की तनख्वाहों से सीधा सम्बन्ध रखती है। मैं तो यह साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी मसले पर हम दोनों तरफ से मिलकर, एक जगह बैठकर यह तय करें कि कौन सी चीज ठीक है। अगर कम है तो उसे ज्यादा करें, अगर ज्यादा है तो उसे कम करें। लेकिन इस हाउस के मेम्बर हैं वे सब मिलकर इस चीज को तय करें। मैं यह देख रहा हूं कि बहुत से सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, पर उन्हें इजाजत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति के सम्बन्ध में ९९ फी सदी मित्रों का गला घोटा जा रहा है क्योंकि उनको बोलने की इजाजत नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी की स्टेज का अर्थ है कि उसे दोनों मिलकर इस बात पर विचार कर सकते हैं– अच्छी तरह से कि अगर कोई कम हो तो उसे ज्यादा करें, और अगर ज्यादा हो तो उसे कम करें। इसके साथ ही मैं मेम्बरों को यह भी बताना चाहता हूं कि इतना दिया जाय जिससे वे किसी तरह की बेईमानी से रुपया प्राप्त करने की कोशिश न करें क्योंकि यह तो मानी हुई बात है कि इन थोड़े से रुपयों से तो सिर्फ दो ही तरह के आदमी काम चला सकते हैं; एक तो वे जिनके पास कि बहुत ज्यादा रुपया मौजूद है, या जो कि भीख मांग कर चन्दे से रुपया ले आते हैं और अपना काम चलाते हैं, या दूसरे वे जो अपना गुजारा कर सकते हैं, जो कि अपनी पोजिशन का नाजायज फायदा उठाते हैं। इस तरह अनेक बातें आ सकती है। इसलिये मैं कहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में बैठकर हम सही चीज पर आ जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। इतना मैं अपने मित्रों की राय के साथ अपोजिशन की तरफ से कह सकता हूं कि ८२ सदस्यों की ताकत पर कमेटी के सम्बन्ध के अमेन्डमेन्ट को कुचलना भी नहीं चाहिये। अगर आपकी यही स्थिति रही तो मैं कह देना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरफ बैठने वालों से किसी चीज में सहयोग की भावना की आशा न कीजिये और सम्भव है कि वे हाउस में आना भी बन्द करदें, और अगर आप यह चाहते हैं कि सब मिलकर शासन के ढांचे को ठीक ढंग से चलायें तो हमको सारी बातों में मिलकर ही काम करना होगा।

श्री हरिदेव जोशी:–अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अपोजिट पार्टी ने नया लीडर चुना है।

श्री गोपीलाल यादव:–इसके बारे में निवेदन है कि मैंने अपने तमाम मित्रों से पूछ लिया है। उनकी अनुमति से ही मैं यह बातें कह रहा हूं। मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें उदारता का परिचय दें और यह चीज जो आपके सामने आ रही है इसको स्वीकार करलें।

साथ ही मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई चीज उसमें गड़बड़ होने वाली नहीं है। यह सोचा जा रहा होगा कि मेम्बरों को अभी भत्ता मिलेगा या नहीं। अगर हम मिलकर चार घंटे बैठकर भी आपस में चर्चा कर लें तो यह आज ही तय हो सकता है, और आप कल ही इसे पास कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा दिन लगने वाली चीज हो, ऐसी बात नहीं है; केवल मात्र ४ घंटे तक मिलकर बैठने से काम हो सकेगा। चर्चा करके, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच सकेंगे, हमें पूरा यकीन है। इसलिये मेरा निवेदन है, जैसा कि अपोजिशन के नेता ने कहा था कि राजप्रमुख की आज्ञा से यह निश्चित किया जा रहा है, तो जो रूल्स पंजाब के यहां लागू किए गये हैं उनमें भी यह बात स्पष्ट लिखी है। तो यह "ए" और "बी" दोनों पर ही लागू होता है। इसके अलावा हम इसको ३–४ घंटे बैठकर ही तय कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे ज्यादा देर लगे; लेकिन जरूरत तो इस बात की है कि हम इस मामले को पार्टी क्वश्चन न समझें। इस चीज को सामने रख कर हम इसे तय नहीं कर सकते। यह जो कानून में लिखा है कि सेलेरी दी जायगी; हमको यह भी सोचना है कि आया हमको सेलेरी दी जायगी या ओनरेरियम। किसी को २०००) रुपये देते हैं किसी को ५००) रुपये देते हैं और किसी को २००) रुपये देते हैं; तो यह सब सेलेरी कही जाती है। लेकिन मेम्बर्स को जो २००) रुपया महावार दिया जायगा तो क्या यह भी सेलेरी ही कही जायगी? यह एक ऐसी बेसिक स्थिति है जिसका निर्णय सिलेक्ट कमेटी में जाने से ही क्लाज बाई क्लाज किया जा सकता है। इसलिये मैं अपने दूसरी तरफ के सभी मित्रों से और खास तौर से हाउस के नेता से निवेदन करूंगा कि वह इस चीज को मान लें और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द सिर्फ ६ घंटे के टाइम के लिए दे दें जिससे उसकी सही स्थिति सामने आ जाय।

श्री सम्पतराम:–अध्यक्ष महोदय, अभी इस हाउस के सामने सवाल है कि इस बिल को जो कि हाउस के सामने पेश हुआ है, सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश किया जाय या नहीं। मेरे विद्वान मित्र ने तथा और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखे हैं, और इस बात की दलील दी है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। इस बात का अधिकार तो सदस्यों को, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या नहीं; लेकिन चूंकि बहुत से इस तरह के मुद्दे और इस तरह से पाइन्टस उठाये गये हैं, जिन पर बोलना बहुत ही आवश्यक है।

सबसे पहले तो अपनी अपनी दलील के दौरान में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि सदस्यों के भत्ते या सेलेरी के बारे में जो सोचा गया है वह ठीक नहीं सोचा गया है। उनकी दलील है कि यदि किसी सदस्य को ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं किया गया, उनकी सेलेरी ठीक तरीके से नहीं दी गई तो वह चोरी या डकैती करेंगे, और उसमें भी यह बात कही गई कि जो कुछ वह कहते हैं वह विरोधी पक्ष के ही नहीं बल्कि सरकारी पक्ष के लिए है........ (विचार जारी)

श्री गोपीलाल यादव:–ऑन दी प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। यह बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि हम लोगों के जरा जरा से सजेशन्स के बारे में भी अगर मेजोरिटी द्वारा हमारे साथ कोओपरेशन नहीं दिया गया तो भविष्य में हमारी ओर से भी कोई कोओपरेशन नहीं किया जायगा। यह बात मैंने हाउस के लोगों की तरफ से कही थी।

श्री सम्पतराम:–दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि "चोरी-डैकैती" शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये थे, जहां तक मेझे याद है। हाउस का प्रत्येक सदस्य इस बात को जानता है। मैं इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं? यदि माननीय सदस्य अपनी बात को इस रूप में लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो यही कहना है कि चोरी और डाके हर टाइम में और हर समाज में जो कुछ भी होते हैं किसी देश और समाज में तो वह गरीबों की तरफ से नहीं होते हैं; जिनको कि थोड़ा मिलता है। चालाक व बदमाश जो होते हैं वह मालदार ही होते हैं। गरीब लोगों की तरफ कभी भी समाज को अविश्वास नहीं करना चाहिए कि वह चोरी व डाके जैसी चीज करते हैं। दूसरी दलील उन्होंने यह दी है कि इस दल में बैठे हुए ९९ प्रतिशत लोग भी उनकी बात से सहमत हैं। यह बिल्कुल निराधार है.......(विचार जारी:)

श्री गोपीलाल यादव:–मिसरिप्रजेन्टेशन, सर।

श्री सम्पतराम:–इस विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता है; बल्कि ९९ प्रतिशत ऐसे हैं जो उनके पक्ष में नहीं है। जो कुछ भी रखा गया है हम चाहते हैं कि वह उसी रूप में पास हो। हाउस को अधिकार है कि वह यह बिल जैसा कि रखा गया है वैसे ही पास हो या अब इसे सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय। इन दोनों बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस सदन के सामने निश्चित रूप से यह सवाल है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं; लेकिन इस तरह से आक्षेप करके सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय यह बिल्कुल गलत चीज है।

श्री छोटूसिंह:–माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी वादविवाद का यह विषय है कि यह इमोल्युमेन्ट बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं। आज मैंने विरोधी दल के सदस्यों से यह बात सुनी कि अगर इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं किया गया तो भविष्य में अपोजिशन साइड से हम किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद नहीं रखें। यह बड़े आश्चर्य की बात है; चन्द रुपयों के प्रश्न पर चेलेन्ज दे देना कि हमारा भविष्य में कोओपरेशन नहीं रहेगा, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। यह दरअसल खेद का विषय है।

अब तक इस प्रश्न पर बहस की गई है कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करके इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाय। मैं तो ऐसा समझता

हूं कि इस बिल के इन्ट्रोडक्शन से पहले ही शायद हरेक सदस्य इस बात को रोज विचार कर लेते थे कि हमें इमोल्युमेन्ट बिल के तहत क्या मिलने वाला है और क्या मिलने वाला नहीं? बिल के उपस्थित होने के बाद काफी एमेन्ड-मेंट पेश किये गये हैं। ये इस बात की ताइद करते हैं कि इस बारे में काफी विचार कर लिया गया है। मैं तो निवेदन करूंगा कि यह हाउस के सामने एक बहुत ही साधारण सी बात है। मेरी दृष्टि में यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। हम इस सदन में हमारा सर्वस्व त्याग करके, अपनी बड़ी बड़ी आमदनियों को त्याग कर यहां पर आये हैं और यहां हमको १२) रुपये या १२॥) रु० मिलते हैं। तो यह कोई महत्व की बात नहीं है जिसको कि तूल का पहाड़ बनाया जा रहा है। इसलिये मेरी राय निश्चित तौर पर यह है कि अब इस बात को यहीं पर खत्म किया जाय और यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं हो। इस पर यदि जल्दी ही निर्णय ले लिया जाता है तो अच्छा रहता। उस लिहाज से यहां से डिस्पर्स होने से पहले ही सदस्य-गण को अपना वेतन और एलाउन्स मिल जायगा और भविष्य में भी आराम रहेगा। ज्यादा वादविवाद होने जैसी कोई महत्व की बात तो मैं इसमें नहीं समझता।

इसके साथ ही साथ एक माननीय सदस्य इस बारे में बोले हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय क्योंकि कम तनख्वाह मिलने से या कम आमदनी होने से लोग चोरी और डाकेजनी पर भी उतर आते हैं। तो मैं माननीय सदस्य की यह बात मान लूं कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का निश्चित मत यह है कि वह तनख्वाह बढ़ाने के लिए, एलाउन्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हर हालत में यह उनकी राय होगी। सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के मायने निश्चित हैं कि इनमें बढोतरी की जाय। सिलेक्ट कमेटी को जहां तक रेफर करने का प्रश्न है कोई भी राय लेने की मन्शा में नहीं समझता हूं। इसलिये हाउस का मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी को बिल रेफर नहीं किया जाय और आज ही इस बिल पर विचार हो जाय।

श्री वेदपाल त्यागी:—माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बहुत छोटा सा प्रश्न है जो कि काफी तूल पकड़ गया है। मैं तो यह समझता हूं, जितना कि मैंने पढ़ा है और जितना कि मेरा ज्ञान है, उस आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाने के कुछ उसूल होते हैं। वही बिल जो कि पब्लिक बेनिफिट के होते हैं या जिनमें सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने से पब्लिक से जान-कारी प्राप्त की जाय, लोगों को बुलाकर उनको एग्जामिन किये जायं और पब्लिक के फायदे की चीजों को ज्यादा सामने लाया जाय और जिसमें विचार करने की जरूरत हो, सिलेक्ट कमेटी को पेश किया जाता है। यह बिल तो ऐसा नहीं ह। मेरे माननीय मित्र ने जो यह कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा डेलीकेट प्रश्न है, लेकिन वह कौन सा महत्वपूर्ण विषय है, कौनसा डेलीकेट प्रश्न है जिसको कन्सीडर करने के लिए सिलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाने की जरूरत है, यह हाउस के सामने उन्होंने नहीं बताया है। मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने यह प्रस्ताव किया था कि इस बिल को इस हाउस की कमेटी

के सुपुर्द कर दिया जाय और वह प्रस्ताव रूल आउट कर दिया गया। संभवत: यह बात हो कि वेतन की दरों को बढ़ाने के लिए वे इस चीज को सब हाउस के सामने न रखकर एक सिलेक्ट कमेटी के समक्ष कन्सीडर करके हाउस के सामने यह रखना चाहते हों कि जो वेतन की दरें दी गई हैं उससे ज्यादा सदस्यों को मिलना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इस विषय में हमारे सामने कई संशोधन आये हैं। कई माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं जिनमें स्वयं वह माननीय सदस्य भी हैं; तो फिर उन संशोधनों पर ही क्यों न विचार कर लिया जाय। यदि सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो उन्हें स्वीकार कर लिया जाय। लेकिन सिलेक्ट कमेटी को दे करके समय बरबाद किया जाय तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुन: विचार कर इस छोटे से प्रश्न को इतना महत्व नहीं दें कि वे यह कहें कि यदि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द नहीं किया गया तो वे हमें किसी भी तरह का कोओपरेशन नहीं देंगे। यह कोई महत्व का प्रश्न नहीं है कि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे अन्य बड़े बड़े कामों में अपना कोओपरेशन नहीं देंगे।

रहा सवाल इसका कि कम वेतन मिलने वाले लोगों को किसी दूसरी जीविका कमाने के लिए बाध्य होना पडेगा। तो मेरा निवेदन है कि जहां तक ईमानदारी और बेइमानी का सवाल है वहां पर यह सारी बातें मनुष्य के टेम्परामेन्ट पर डिपेन्ड करती है। बहुत से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग भी ेईमान होते हैं और कम तनख्वाह पाने वाले लोग ईमानदार होते हैं। छोटी २ बातों पर इतने बड़े बड़े प्रश्न खड़े करने से हाउस का समय बहुत ज्यादा लिया जाता है। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको कि ज्यादा टाला जा सकता है। केवल २ दिन में हमारा सेशन खत्म होने वाला है। माननीय सदस्यों को टी० ए० भी दिया जायगा और सिलेक्ट कमेटी में आने वाले सदस्यों को भत्ता भी दिये जाने की जरूरत होगी। इसलिये मैं इसका अभी ही पास ो जाना आवश्यक समझता हूं। इस लिहाज से मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस अमेन्डमेन्ट को वापस लेलें और जो बिल सामने आया हुआ उस पर विचार करने के लिए अपनी राय दें।

श्री जसवन्तसिंह:—उपाध्यक्षजी, छोटा सा मामला है। इस पर फिजूल जोर दिया जा रहा है। यह एक सिद्धान्त का मामला है। कम खर्च का और ज्यादा खर्च का सवाल है। जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है वह ऐसा अमेन्डमेन्ट है जिसके सम्बन्ध में यहां तक भी कहा गया है कि बहुत कम मिलना चाहिये। मैं नहीं समझता कि सरकार की जो पार्टी है वह क्या चाहती है? क्या यह उचित है कि किसी भी प्रकार का बिल-सरकार जैसा चाहे भेज दे और विधान सभा उसे पास करदे। तो मेरा यह निवेदन है कि विधान सभा के होने से कोई फायदा नहीं। कोई भी बिल सदन के सामने आता है तो उस पर विचार किया जायगा; इस सिद्धान्त को देखते हुए हम यह चाहते हैं कि इस बिल पर भी विचार किया जाना चाहिये। यह एक सिद्धान्त का सवाल है। मेरी समझ में कोई डरने की बात नहीं। हाउस का मत ले लिया जाय कि

[redacted]

इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या नहीं; इसमें डरने की बात नहीं। हाउस अगर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं समझती है तो वह तय करले। माननीय सदस्य ने जब यह प्रश्न उठा दिया है तो उचित है और हक है कि हाउस की राय ले ली जाय। जैसा भी सदन तय करे, तय कर लिया जाना चाहिये।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे माननीय मित्र, विरोधी दल के नेता ने कहा कि असल में यह चीज उतनी बहस के लायक नहीं जितनी कि बहस इस पर होगई है। माननीय सदस्य ने जो मोशन मूव किया है उनके शब्द ये हैं कि यह सवाल बहुत अहम है और अत्यन्त गंभीर है; आदि आदि; इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में पेश किया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय मैं नहीं कहता कि यह गंभीर है या कम गंभीर है। जो कुछ है सदन के सामने है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न जरूर है कि जिसमें इस सदन को इस प्रश्न पर ज्यादा लम्बी–चौड़ी बहस चलाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रश्न पर इस सदन के सदस्य बहुत ज्यादा खींचातान करते हुए अच्छे मालूम नहीं देते। सिलेक्ट कमेटी के पास बिल को भेजने के कुछ कारण हुआ करते हैं, उन पर सोच विचार करने की आवश्यकता होती है, उसकी जांच की गहरी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको सिद्धान्त रूप में लेकर वाद विवाद किया जाय। इस सदन के कुछ अधिकारियों को कुछ वेतन और भत्ते मिलने चाहिये, यह चीज हमारे भारत के विधान में मानी हुई है, इसलिये इस बिल में कुछ भत्ते और वेतन की सिफारिश की गई है। इसमें विवाद का प्रश्न नहीं। बात सिर्फ इतनी ही है कि भत्ता और वेतन दिया जाना चाहिये। इस सदन के सदस्य इस बात को एक मत होकर मानेंगे कि कुछ न कुछ भत्ते या वेतन तो दिये जाने चाहिये। इसलिये सिद्धान्त रूप में ऐसी कोई चीज नहीं रह जाती कि जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। जब बिल लम्बा चौड़ा हो, हरेक तफसील या हरेक क्लाज पर बहस करने का समय न हो तो उस हालत में बिल सिलेक्ट कमेटी में सुपुर्द किया जाय तो अच्छा है। वहां पर तफसील से इसलिये जांच हो सकती है। मेरा निवेदन है कि यदि इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाता है तो इसमें परिवर्तन करने की बातें हैं। जितने भी संशोधन आये हैं उनमें जैसा कि माननीय न्याय मंत्री ने फरमाया है कि कुछ में वेतन और भत्ते की दर बढ़ाने के सुझाव दिये गये हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें वेतन और भत्ते के दर घटाने के सुझाव दिये गये हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी किसी चीज की संभावना हो तो हाउस को इसे क्लाज बाई क्लाज लेकर निर्णय करना चाहिये। इसमें दो तीन क्लॉजेज हैं जिन पर एक एक करके निर्णय किया जा सकता है। आवश्यकता मालूम नहीं होती कि इसको किसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मतलब यह होगा कि इस पर और समय लगाया जाय। दो तीन घंटे और बैठ कर इसमें कोई नई बात होजायगी; यह तो मैं मान नहीं सकता। सदन के सदस्यों के जो कुछ भी विचार हैं वे इस समय भी यहां रखे जासकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भेजकर सिर्फ दो चार आदमियों के ही तो विचार उसमें शामिल हो सकते हैं। हम

यदि इस पर सदन में वाद विवाद करें तो किसी निर्णय पर पहुंचेंगे । अतः मैं बहुत नम्रता के साथ, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि मेरे माननीय मित्र ने जो यह कह दिया है कि इसके पक्ष में ९९ फीसदी लोग हैं मैं नहीं मानता। अध्यक्ष-महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे प्रस्ताव मान लिये जाएं तो विरोधी दल का कोओपरेशन हमको मिलता रहेगा तो क्या वह इस लिहाज से कहा गया है कि मेरे मित्र ने जैसा कि एक प्रश्न किया था कि क्या विरोधी दल के नये नेता चुन लिये गये हैं मेरा ख्याल है उन्होंने स्थान परिवर्तन नहीं किया है। विरोधी दल के नेता से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि वे इस बात में उचित स्ट्रोंग व्यूज़ नहीं रखते; अधिकतर गवर्नमेन्ट की बातों को ही सपोर्ट करेंगे।

श्री जसवन्तसिंह:—गवर्नमेन्ट को सपोर्ट करने के काबिल कोई बात होगी तो जरूर सपोर्ट करूंगा, नहीं तो नहीं।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन)

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:--मेरी उनकी बातें हुई थीं । मैं मानता हूं कि इस काम में कोई आलोचना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी बात किसी प्रकार की नहीं मानी जाएगी तो इस तरफ के सदस्यों से किसी प्रकार के कोओपरेशन की आशा नहीं रखी जावे।

श्री गोपीलाल यादव:--मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा कि अगर ओपोजिशन की किसी भी बात को, जो मुनासिब हो, ८२ आदमियों की ज्यादा मेजोरिटी होने की ताकत के नाते न माना जावे तो फिर वे इस दल के सदस्यों से किसी प्रकार के कोओपरेशन की आशा न करें ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—इतनी बड़ी बात नहीं है जिस प्रकार की बातें इस पर कही जाएं। आखिर मसला कौनसा है? यह तो एक सिद्धान्त की बात है। हमें तो कुछ सदस्यों को वेतन देना है, भत्ता देना है, कितना देना है उसके मुतल्लिक कुछ कहना हो सकता है । हमें चाहिए कि हम यहीं पर तय करलें। जहां तक सरकारी पक्ष का ताल्लुक है, मैं यह कहूंगा कि हमने इस प्रश्न पर बहुत सोच-समझ और विचार कर सदन के सामने पेश किया और मैं यह चाहता था कि दर असल इसको पार्टी पोलिटिक्स का मेटर नहीं बनाया जाता और इस सारे बिल पर शांति से बहस हो जाती। यह बिल इस प्रकार का है जिसमें सदस्यों को जो पैसा आते-जाते लगेगा वह दिया जाएगा ? व वेतन भत्ते भी दिये जायेंगे। मैं उम्मेद करता हूं कि जो प्रोपोजल सरकार ने रखा है वह उचित है और इस सदन के सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए व इस राज्य की स्थिति को देखते हुए सर्वांग उचित है। इसमें कहीं कुछ बढ़ाने की गुंजायश नहीं। अगर होती तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कुछ करते। सरकार को इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या होती कि वह अपने सदस्यों के सुख और सुविधाओं की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देती। उसे ऐसा करना ही चाहिये। आज कल हमारे इस गरीब राज्य के साधन सीमित हैं। हमने और भी कई दूसरे प्रान्तों · · · · · · · ·

माननीय अध्यक्ष:–The Hon'ble Member will not speak on the merits of the Bill but will explain only so far as the amendment in concerned.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–मैं एमेन्डमेन्ट पर ही बोल रहा हूं; लेकिन जो प्रोपोजल सरकार ने रखे हैं वे इतने उचित हैं कि उसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

आखिर में मैं इस हाउस के सदस्यों से यह अपील करूंगा कि इस छोटे से सवाल को सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर मामला उलझन में नहीं डालें। मैं निवेदन करूंगा कि इसको जैसा है वैसा ही मान लिया जावे और यदि किसी एमेन्डमेंट की जरूरत है तो इसके एक एक क्लाज को लेकर उस पर निर्णय किया जावे। मगर इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जावे क्योंकि यह उलझन में पड़ जाएगा; इसलिये ठीक नहीं। यह तो साधरण सी बात है, यह कोई बड़ा लम्बा चौड़ा मामला नहीं है। इस थोड़े से निवेदन के बाद मैं अपने मित्र से जिन्होंने इस मोशन को रखा है, निवेदन करूंगा कि वे इसको वापिस ले लें या इसको रिजेक्ट किया जावे। इसको पास नहीं किया जावे।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मुझे निहायत दुख है कि हाउस के नेता ने इसकी आवश्यकता को नहीं माना। इसके प्रत्येक क्लॉज़ पर आगे बहस में सभी चीजें आ सकती हैं और आवेंगी और लोग यह जानना चाहेंगे कि १६००) रूपये मिनिस्टरों पर और कारों पर ३०००) रुपये क्यों लगाये जाते हैं और यहां के स्पीकर को इतना कम क्यों मिलता है? और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में इतना फर्क क्यों? होना चाहिये। ऐसे अहम प्रश्न सिलेक्ट कमेटी में रखने से ही ठीक तरह से हल हो सकते हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि हम कुछ कम हैं और वे ज्यादा तादाद में हैं इसलिये हमारा कहना ठीक नहीं। मगर मैं निवेदन करूंगा कि यह चीज भी एक्सपोज होनी चाहिये कि कौन त्याग करता है और कौन नहीं। मैं जानता हूं कि ८२ आदमियों को चीट देकर उनका गला घोट दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष:—No such language should be used.

श्री गोपीलाल यादव:–I regret, Sir.

मैं इन शब्दों के साथ अपना एमेन्डमेन्ट मोशन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष:-यह एमेन्डमेन्ट मोशन जैसा है उसमें सारी बातें जो एमेन्डमेन्ट मोशन में होनी चाहिये, नहीं हैं फिर भी मैं हाउस के सामने प्रश्न प्रस्तुत करता हूं;

The question is that leave be given to Shri Gopilalji to withdraw his amendments that the bill be referred to Select Committee of the follwing person;

(1) Shri Gopi Lal Yadav
(2) Shri Kan Singh
(3) „ Hari Dutt
(4) „ Bhairoo Singh
(5) „ Khet Singh
(6) „ Jawan Singh
(7) „ Chandan Mal
(8) „ Ram Dayal
(9) „ Ghasi Ram
(10) „ Mohammad Ibrahim
(11) „ Tej Mal Bapna
(12) „ The Minister-in-charge
(13) The Advocate General

श्री गोपीलाल यादव:- आइ विड्रा दी मोशन।

माननीय अध्यक्ष:-विड्रा करने की आज्ञा प्रदान की गई।

माननीय अध्यक्ष:-सदन के समक्ष अब यह प्रश्न प्रस्तुत है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय अध्यक्ष:—Now the Question is that clause two of the bill be added to the Bill.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, क्लाज बाइ क्लाज डिसकशन शुरू होने से पहले यह आवश्यक है कि इसके ऊपर जनरल बहस हो।

माननीय अध्यक्ष:-You want to re-open it. If so I would be very glad to allow you. I waited for some time but no body caught my eye.

राजा मानसिंह:-I want to move my amendment. (मैं मेरा एमेन्डमेन्ट पेश करना चाहता हूं)

माननीय अध्यक्ष:-Yes, but one of the Hon'ble members wants that the Principles of the Bill be discussed before we go clause by clause. (सदस्यों में से एक माननीय सदस्य चाहते हैं कि क्लॉज बाई क्लॉज लेने के पहले इस बिल के जनरल प्रिन्सिपल्स पर वाद विवाद करें)

श्री जसवन्तसिंह:-राजस्थान विधान सभा के स्पीकर; डिप्टी स्पीकर और अन्य सदस्यों के लिये क्या तनख्वाह व अन्य भत्ता होगा; इस बारे में हमारे

विचाराधीन यह जो बिल हमारे सामने आया है उसमें यह बताया गया है कि स्पीकर की सेलेरी १०००) रूपये माहवार होगी, डिप्टी स्पीकर की ३००) रु० महावार होगी और मेम्बरों को १००) रु० माहवार वेतन के दिये जायेंगे।

एक माननीय सदस्यः—एक सौ नहीं दो सौ हैं।

श्री जसवन्तसिंहः—मेरे पास जो बिल की कोपी है उसमें तो १००) रूपये लिखा है।

माननीय अध्यक्षः—आइ एम वेरी सोरी देट ए रोंग कोपी हैज बीन सप्लाइड। आइ विल रिजेक्ट अदर मेम्बर्स टू चेक इट अप।

श्री जसवन्तसिंहः—इस वक्त मेरे पास जो कापी आई है उसमें स्पीकर को १०००) रूपये डिप्टी स्पीकर को ४००) रूपये और मेम्बर्स को २००) रूपये माहवार दर्ज किया हुआ है। यह मैं नहीं कह सकता कि मेम्बर्स के लिये यह सेलेरी होनी या ओनरेरिया होगा या क्या चीज होगी? यहां जो प्रोविजन दिया गया है उसके बारे में मैं माननीय संबंधित मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे यह बतावें कि यह जो अलग अलग तनख्वाह या पैसे रक्खे हैं वे किस बेसिस से रक्खे गये हैं। अन्य प्रान्तो में, मसलन हैदराबाद में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्या मिलता है? मेम्बर्स के लिये २००) रुपये रखे गये हैं। हम यह पूछना चाहते हैं कि यह तनख्वाह होगी या ओनरेरिया होगा। इस पर इन्कम टैक्स लगेगा या यह फ्री ओफ इन्कम टैक्स होगी; जैसा कि पार्लियामेन्ट या दूसरी जगह होता है। यह पहले बतावें तो फिर कहा जाय कि क्या उचित है और क्या अनुचित है?

माननीय अध्यक्षः—दी क्वेश्चन ओफ दी डिटेल्स बिल कम वेन वी गो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ओनली प्रिन्सिपल्स ओफ दी बिल आर टू बी डिस्कस्ड हीअर। डिटेल्स का प्रश्न तो तब आयगा जब कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इसे लिया जायगा। अभी तो इस बिल के मूल सिद्धान्तों पर विचार हो रहा है)

एक माननीय सदस्यः—दिक्कत यह है कि हमारे यहां इस बिल की कोपी नहीं है।

माननीय अध्यक्षः—वाज इट नोट सपलाइड टू यू?

श्री गोपीलाल यादवः—मुझे यह निवेदन करना है कि इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेने के पहले जो डिबेट होती है तो उसके जनरल प्रिन्सिपल्स तथा उसके जनरल प्रोविज़न्स डिस्कस किये जाते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों का कुछ और ख्याल है। तनख्वाह दी जाय या न दी जाय इस बारे में मतभेद है। मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सेक्शन ८४ प्रिन्सिपल ओफ दी बिल तथा जनरल प्रोविज़न्स ओफ दी बिल के डीलज़ करता है।

माननीय अध्यक्ष:—दैट्स वाट आइ मेन्ट (मेरा मतलब भी यही था)

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि अभी अपोजिशन के नेता ने कहा है, मुझे इस बिल के जो प्रिंसिपल्स हैं और इस बिल के अन्दर जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अन्दर बड़ा भारी फर्क मालूम देता है और उसको गवर्नमेन्ट की तरफ से क्लियर किए जाने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसके अन्दर लिखा है कि सेलेरी दी जायगी। कांस्टीट्यूशन में भी ऐसा लिखा है। लेकिन हिन्दुस्तान का, जो इस संविधान के लागू होने से पहले का संविधान है उसमें ओनरेरियम था और उस ओनरेरियम के तहत कहीं ३००) रुपये माहवार, कहीं २५०) रुपये माहवार और कहीं २००, रुपये माहवार लोगों को मिला करते थे और वह भत्ता लेकर भी यह अनुभव नहीं करते थे कि हम इस हाउस के मेम्बर होने से गिर गये हैं और हम क्लर्कों की कैटेगरी में आ गये हैं; क्योंकि वह आनरेरियम था। लेकिन इस बिल में सेलेरी लिखा गया है। "सेलेरी" वर्ड उन्हीं के लिए काम में आता है कि वह कितने दिन, कितने महीने, कितने समय तक काम करते हैं। उनका सारा हिसाब होता है और उसीके माफिक उनको तनख्वाहें मिलती है। इसीलिए इस बिल को जिस शक्ल में रखा गया है वह इस हाउस की प्रिविलेजेज, हाउस की इज्जत और दूसरी चीजों से बहुत कुछ सम्बन्ध रखने वाला है और मैं अध्यक्ष महोदय आपका और सदस्य महोदयों का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं बेशक अगर हमारे माननीय मंत्री यह कहते कि हमारे पास रुपया नहीं है। हाउस के मेम्बरों को तनख्वाह उनकी पोजीशन के मुताबिक मुकर्रर की जाय और उसके बाद गवर्नमेन्ट यह कहती कि हमारे पास रूपया कम है इसलिये कुर्बानी करो, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस तनख्वाह को कम लेने में जितनी कुर्बानी करेंगे उससे कम हम में से दूसरे सदस्य भी नहीं रहेंगे। (करतल ध्वनि) हम ५० प्रतिशत ६० प्रतिशत और सेंट परसेंट भी सेलेरी कम करने को तैयार हो जाते। लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब वह हाउस के मेम्बरों का २००) रुपया रखते हैं, जैसा कि मैंने पिछले दिनों में कहा था, तो मैं इस २००) रुपये को आज से २० साल पहले के ३०) रुपये समझता हूं। इसी सिलसिले में जब मिनिस्टरों की सेलेरी का भी प्रश्न आया था तो उस पक्ष के मेरे कुछ मित्र बोल रहे थे कि महात्मा गांधी ने जिस समय कहा था कि मिनिस्टरों की तनख्वाह ५००) से अधिक नहीं होनी चाहिए और आज जब वे हजार रुपये लेते हैं तो उस जमाने और आज के जमाने के हिसाब से उनकी तनख्वाह कई हजार होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि यह मेम्बरों की जो सेलेरी २००) रूपया तय की गई है वह किस हिसाब से की गई है? उनका और मिनिस्टरों की तनख्वाह का हिसाब हमें बेसिक तौर पर बैठाना होगा। इसके अलावा अगर कोई ज्यादा काम करते हैं और उसके काम का जो कुछ भी अलाउंस दे दिया जाता है वह दिया जाय, मुझे एतराज नहीं होगा। जब मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं तो वे अपने भत्ते के अलावा टी. ए. और डी. ए. लेते है। अगर यह सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जाता तो हम सोच रहे थे कि हम मिनिस्टर महोदयों के उन टी. ए., डी. ए. के बिल को मंगवाते। और इसके

अलावा हम बतलाते कि जो कुछ तनख्वाहें मिलती हैं, किसको कितना मिल जाता है ? जिनको हजार रुपये की तनख्वाह मिलती हैं उनके ४००)–५००) रुपये टी. ए. के बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें नेट सुविधायें है क्योंकि जहां जाते हैं वहां के कलेक्टर, कमिश्नर सभी लोग उनके लिए हाजिर रहते हैं, हर प्रकार की सुविधायें देते हैं। इसके अलावा इनके साथ जो सरकारी अर्दली वगैरा जाते हैं उनको भी टी. ए. वगैरा मिलते हैं। किन्तु इस हाउस के जो मेम्बर चुनकर यहां पर आये हैं उन्हें अपना हरेक काम अपने हाथ से करना पड़ता है, हर चीज के लिए उन्हें ही प्रयत्न करना पड़ता है। जिस समय यह बिल बनाया गया तो किसी मंत्री महोदय ने यह ध्यान नहीं रखा कि हाउस के मेम्बर्स राजस्थान की सुप्रीम बोडी है। उनको सदस्यों की पोजिशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए था और उसी के अनुसार उनका भत्ता तय करना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बात और भी है कि इसमें "सेलेरी" लिखा गया है। मेरा सुझाव है कि सेलेरी की जगह ओनरेरियम शब्द लिखा जाय। हमें खेद है कि अपने हाथ से कानून बना कर इस हाउस के सदस्यों का अपमान किया गया है। इन शब्दों के साथ में इसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट करता हूं।

श्री किशनलाल शाह:—अध्यक्ष महोदय, बिल के प्रिन्सिपल्स के विषय में जहां तक मैं समझा हूं कि आया सदन की परम्परा के मुताबिक सदस्यों को आनरेरियम मिलना चाहिये या नहीं। इस विषय में विरोधी पक्ष की तरफ से या इस ओर से कोई बात नहीं कही गई है, इसलिये मैं यह मानकर चलता हूं कि इस विषय में कोई खास बहस की गुंजाइश नहीं है। बिल में जो चीज रखी गई है वह मेरे ख्याल से ठीक मालूम पड़ती है। जहां तक मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय आदि का सवाल है और अन्य सदस्यों का सवाल है, यह दोनों ही अलग २ आधार पर होने चाहिये। माननीय मंत्री गण और अध्यक्ष महोदय को वे अधिकार इस बिल के जरिए या संविधान के जरिए नहीं होंगे जो कि सदस्यगण को हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ सदस्यों के लिये इस बिल में प्रोविजन किया गया है उसके अलावा सदस्यों को यह भी अधिकार है कि वे अपने कमाई के जो धन्धे हैं उन्हें भी चालू रख सकें। जिनको वेतन या भत्ते अधिक रखे गये हैं उन्हें यह अधिकार नहीं दिए गए हैं। इसलिये जहां तक वेतन का सवाल है मैं समझता हूं दोनों एक नहीं हो सकते, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने अभी फरमाया है।

जहां तक प्रेस्टिज का सवाल है मैं समझता हूं कि सरकार के खजाने से, जो कि एक मायने में जनता का खजाना है, पैसा लेकर बड़े २ दफ्तर या बड़े बड़े निवास या बड़े बड़े नौकर रखे जाएं तो इससे सदस्यगण की स्थिति की बढ़ोतरी नहीं होगी। जहां तक सदन के सदस्यों की आम बढोतरी का सवाल है वह जनता के प्रति किये जाने वाले कार्यों से है और अगर हम जनता के कार्य भली प्रकार से करते हैं, चाहे भूखे रहें, चाहे पैसा मिले या नहीं तो भी हमारी

इज्जत बढ़ सकती है, और अगर हम जनता के खजाने से २-४ सौ रुपये लेकर भी वह ऊंचा कार्य नहीं करेंगे तो, मैं समझता हूं कि हमारी डिगनिटी कम होगी; उससे हमारी डिगनिटी बढ़ेगी नहीं।

जहां तक यह २००) रुपये का सवाल है मैं यह समझता हूं कि वह इसलिये लिये जाते हैं कि हो सकता है कि हमें कई क्षेत्रों का दौरा करना पड़े, कई दूसरे कामों की जानकारी करनी पड़े और मुमकिन हो सकता है कि अन्तराष्ट्रीय बातों की भी जानकारी हासिल करनी पड़े। इसके लिए उन्हें अपना छोटा मोटा दफ्तर भी खोलना पड़े और उसमें पूरे समय के लिए अहलकार रखना पड़े। इतना सब होने पर भी अगर हरेक अपने अपने चुनाव क्षेत्र से ही सम्बन्ध रखें तो सब सदस्य अपने अपने क्षेत्रों की बात कहेंगे। इस सदन में सारे राजस्थान की बात आ सकती है और प्रत्येक सदस्य अपने अलग अलग निवास क्षेत्रों की जानकारी भी दे सकता है। जहां तक माननीय सदस्यों की प्रेस्टीज का सवाल है उसके लिए उनको अधिकार दिया है कि वे इसके अलावा और भी काम कर सकते हैं; कोई जागीरदारी में मशगूल रह सकता है तो कोई अपने धन्धे में मशगूल रह सकता है। अपना काम करने से जो रुपये मिलने वाले हैं इन २००) रुपयों से अलग रहेंगे। २००) रुपये इसलिये दिये जा रहे हैं कि वे इन पर खर्च किये जाने चाहिए। जितने भी सदस्य महोदय इस हाउस में जहां से भी आये हैं तो उस क्षेत्र की जानकारी के लिए, उसके दौरे के लिए जरूरी है कि वह इन रुपयों को खर्च करें। उस क्षेत्र विशेष के लिए यह रकम रखी गई है। उन कामों के लिए वह वेतन दिया जाना वाजिब है। इसके अलावा जो प्रेस्टीज का सवाल है उसके लिए दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इन बातों का जहां तक सवाल है वह इस बिल में स्पष्ट है और इसको मैं सही तौर पर इस बिल में बता चुका हूं। इसलिये मेरी यह राय है कि इसमें कोई त्रुटी नहीं है और इसी आधार पर सदन को इस बिल को स्वीकृत करना चाहिए।

श्री माधवप्रसाद एन पंडित:—माननीय अध्यक्ष इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। वे यह हैं कि जो इस सभा के सदस्य यहां आते हैं वे जन सेवा के लिए आते हैं। वे यहां रुपया लेने के लिए नहीं आते हैं। यह सेलेरी जो दी जानी चाहिये यह बात उचित नहीं है। इससे उनमें यह भावना होती है कि वह तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं; परोपकार की भावना से नहीं। जनता की सेवा करने के लिए वह हाउस में आये हुए हैं। इतना निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री राजा मानसिंह:—I am speaking, Sir, on the general principles of the Bill put before us. I must remind of the wonderful achievements of the Congress that we hear in the House as well as in the Press. When I felt this I was disgusted. I have before me here a book, Sir, written by Pandit Jawahir Lal Nehru. Sir, Pandit Nehru has realised that majority of its followers only support a vacuum. He says, in the book,

that it is quite inconceivable that they will get absurdly high salaries and allowances that are paid to them to-day. The new India must be served by earnest and efficient workers who have ardent faith in the cause they serve and are bent on achievements and who work for the glory of it and not for the attraction of high salaries. I am of the opinion that the Assembly House must not be looked up as a source of income, but a place of service to the Government. In this respect I have moved an amendent which I will move in due course. It has been suggested by several members that the members of the Assembly must also get salaries equnl to that of the Ministers. In that respect I would like to say we have already noted in this House the sacrificing spirit of the Ministers and as such I am sorry to say, Sir, that they lack moral responsibility.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):—माननीय अध्यक्षजी इस इमाल्यूमेंट बिल के बारे में आज जिन मेम्बर्स ने जो कुछ थोडी बहुत बातें कही हैं उनके बारे में अध्यक्ष महोदय मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो त्याग की भावना २००) रू और १२॥) रु० लेकर मेरे विरोधी पक्ष के भाई दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में मैं मेरे पक्ष की ओर से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस भावना को लेकर मेरे एक लायक दोस्त ने इस बिल के अन्दर एक एमेंडमेंट (संशोधन) रखा है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि हमको .कोई मन्थली सेलेरी नहीं लेना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हम जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का विचार कर रहे थे, उन हमारे कुछ भाइयों को यह गलतफहमी थी कि हम हमारे भत्ते या सेलरी बढ़ाना चाहते हैं। हमारी तरफ से यह स्पष्ट नियत है कि अगर हमारे भाई २००) रु० सेलेरी और १२॥) रु० डेली एलाउन्स लेकर भी कहते हैं कि हम त्यागी हैं, बलिदानी हैं तो हम इसी वक्त यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस स्थिति को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हाउस के मेम्बरों को २००) रु० मिलना चाहिए। हम स्पष्टतः यह कहना चाहते हैं कि हम लोगों को किसी प्रकार की तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि जयपुर स्टेट के अन्दर लेजिस्लेटिव कौन्सिल थी, उसका मैं भी सदस्य था और इस हाउस के कुछ माननीय सदस्य भी उसके सदस्य रह चुके हैं। उसमें हम लोगों को केवल डेली एलाउन्स मिलता था। हम लोगों ने कभी यह मांग नहीं की थी कि हमको मन्थली सेलेरी दी जाय। जब १–२ बातें मैंने सुनी, तो अध्यक्षजी, मुझे बड़ा दुख हुआ। वह क्या? वह यह है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस सेलेरी को रखना चाहते हैं और यह कहते हैं कि हमको अपनी कन्स्टीटुएन्सी का दौरा करने का कार एलाउन्स है। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी में त्याग की भावना है, जो यह चाहता है कि जनता की सेवा करे तो उसे २००) रु० के लिए उसे बिलकुल नहीं सोचना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर २००) रु० नहीं मिलेंगे तो वह अपनी कन्सटीटुएन्सी का दौरा नहीं करेगा। मैं इस सदन के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर २००) रू नहीं मिलेंगे तो भी हमारे पक्ष वाले अपनी अपनी कन्स्टीटुएन्सीज तो क्या, सारे राजस्थान भर का दौरा करेंगे।

अगर किसी भाई के पास पैसा नहीं है तो उसको इस भावना को लेकर चलना है कि वह भीख मागेंगे लेकिन जनता की सेवा करेंगे ।

मैं इस सदन के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो २००) रुपये जो सदस्यों को दिये जायेंगे हमारे पक्ष के सदस्य इनका न लेकर भी अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे और कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। उनको यदि पैसे की आवश्यकता होगी तो जनता से भीख मांगेंगे ओर जनता की सेवा करेंगे । मुझे अध्यक्ष महोदय, दो घंटे से बड़ा दुख हो रहा था, इस बिल पर हो रही बहस को सुनते हुए । इस छोटी सी बात को मैं निवेदन करता हूं कि विरोधी पक्ष मान ले कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यदि ऐसा कर लिया जाता तो इतनी बातें नहीं होतीं । सिलेक्ट कमेटी में यह बिल भेजा जाता तो मालूम होता कि इसका जो सिद्वान्त है वह बिल्कुल गलत है। अब वह चीज रही नहीं । मेरे साथी जो त्याग और बलिदान का ढिंढोरा पीट चुके हैं उनसे एक बार और अपील करूंगा कि वे इस बिल में जो अमेंडमेंट रखा गया है उसको मन्जूर करलें। और अपने त्याग और बलिदान की भावनाओं को सच्चे मायने में इस सदन के सामने पेश करें । इस बिल में दो ऐसी चीजें हैं वे स्पष्ट हैं। इस बिल में दफा पहली है कि मेम्बर को सेलेरी लेनी चाहिये या नहीं लेनी चाहिये । इस अमन्डमेट में एक पहल इस बात का पोषण करता है कि मेम्बर्स को सेलरी नहीं लेनी चाहिये । मैं इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और मेरे लायक दोस्तों को बता देना चाहता हूं और इस पक्ष की तरफ से घोषित कर देना चाहता हूं कि वे जितने २००) रुपये लेने के इच्छुक हैं हम इधर के पक्ष वाले एक पैसा भी लेने के लिए इच्छुक नहीं; इसके अलावा मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि मेरे जो भाई यह कहते हैं कि जो इस पोजीशन में हैं कि बिना पैसा लेकर के कार्य कर सकते हैं, करें। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें अपने क्षेत्र में भीख मांगनी चाहिये और उस पैसे से दौरे वगैरा करने चाहिये। उन्हें जनता के पैसे पर दौरा करके उस पैसे को बरबाद नहीं करना चाहिये। सिद्वान्त की बात को लेकर के सदन से अपील करूंगा कि हमे किसी प्रकार की सेलेरी मन्जूर नहीं करनी चाहिये ।

श्री कानसिंह:- अध्यक्ष महोदय,यह सवाल विधान सभा के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों को सेलेरीज और भत्तों के संबन्ध में हमारे सामने है। इस बिल में कुछ शब्द जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के कानून से इस्तेमाल किये गये हैं उनकी वजह से कुछ गलतफहमी हो रही है। विधान की धारा १९५ में जहां इसका जिक्र किया गया है कि मेम्बर्स को इमोल्युमेन्टस मिलने चाहिये उसमें शब्द सेलेरी और अलाउन्सेज इस्तेमाल किया गया है और सरकार की तरफ से हमारे सामने इस वक्त जो बिल पेश है उसमें सेलेरीज मेम्बरान २००) रुपये माहवार दिखाई गई है।. मैं यह कहूंगा कि सरकारी मिनिस्टरों ने जो अपनी लियाकत और अपने समय को सेक्रिफाइज किया है उसके ऐवज में उनके लिये एक हजार रुपये का तखमीना लगाया गया है। साथ साथ हरेक मिनिस्टर को १६००) रूपये कार अलाउन्स के लगाये गये हैं और दूसरे सरकारी पक्ष के जो मेम्बर हैं उनकी काबलियत और स्टेन्डर्ड देखकर ही यह २००) रुपये का

तखमीना लगाया गया है। गोया दूसरे मेम्बरान जो आये हैं २००) रुपये माहवार सेलेरी पाने के काबिल हैं; इससे ज्यादा उनकी लियाकत रूपये पाने की नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर हमको यह मानकर कि हमारी हैसियत और काबलियत का स्टेन्डर्ड सिर्फ २००) रुपये माहवार का ही है और इससे ज्यादा नहीं है तो में तो कभी इस बिल के साथ सहमत नहीं और इस बिल का विरोध करता हूं। अगर हमसे यह आशा की जाती है कि हम चार पांच महीने यहां आवें और इस विधान सभा में कार्य करें और जो भत्ते और सेलेरीज रखी गई है वह ले लें तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे ख्याल में सरकार ने जो तखमीना लगाया है वह सरकारी दल की तरफ बैठने वाले सदस्यों के स्टेन्डर्ड और हैसियत की बुनियाद पर ही लगाया है; इस तरफ बैठे हुए हम लोगों की तरफ कतई ध्यान नहीं रखा गया है। मैं अर्ज करुंगा कि जो कुछ भी सेलेरी दी जाय वह इस बात को देख कर के दी जाय कि जब हम ४, ५ महिने यहां आयेंगे, अपना समय कन्ट्रिब्यूट करेंगे तो उस सेलेरी का कुछ पैमाना तो होना चाहिये। मनमाने ढंग से कैसे काम चल सकता है। इन सब बातों को सोचते हुए जो तखमीना लगाया गया है वह गैरवाजिब है, महज अपन सरकारी दल की तरफ बैठने वाले सदस्यों की योग्यता का तखमीना लेकर यह सेलेरी नियत की गई है। मैं अर्ज करूंगा कि विधान सभा का काम बहुत दिमागी काम है, कानून बनाने का काम है; यह कोई मामूली काम नहीं। उसके लिये जो सेलेरी दी जाती है उसके स्टेन्डर्ड के लिहाज से दी जानी चाहिये। यह कहा जाता है कि विधान सभा म सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा की भावना आगे रख कर आगे आते हैं। इसलिये सेलेरी का नाम लेकर हमें कोई बात नहीं रखनी चाहिये। हम लोग तो यहां तक कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही सेवा करेंगे "सेलेरी" शब्द से हमारे सेक्रिफाइज का जो तखमीना किया जाता है यह हमारे साथ अन्याय किया जाता है। इसलिये इस सेलेरी शब्द को हटा दिया जाय। हम बगैर किसी ओनरेरियम के काम करेंगे। जो कुछ खर्चा होगा, ले लिया जायगा। सेलेरी शब्द का ठीक इन्टरप्रीटेशन करना चाहता हूं। वह इन्टरप्रीटेशन नहीं होना चाहिये जो इस बिल की दफा में लिया गया है। लेजिस्लेचर की जो स्पिरिट थी उसी स्पिरिट में समझा जाय और इसका तखमीना लिया जाय। सेवा भाव के रूप में वगैर किसी रकम को लिये हुए हम सेवा करने को तैयार हैं, सेलेरी की कोई जरूरत नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद:—माननीय अध्यक्ष, यह तनख्वाहों का प्रश्न हाउस के सामने है। इस पर बहस के दौरान में सदस्यों ने यह कहा कि हमको ओनरेरी कार्य करना चाहिये और तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये। एक सदस्य ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मेम्बरों को कम तनख्वाह लेनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि लोक सभा के सदस्यों की तनख्वाह के प्रस्ताव पर जो ५००) रुपये माहवार देने के लिये था उस सम्बन्ध में पंडितजी का ख्याल था कि ५००) रु० कम होंगे। उनको ६००) रुपये दिये जाने चाहियें। उनका यह विचार है कि लोक सभा के जो सदस्य हैं उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिये। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है इसलिये उनको इतना पैसा दिया जाना चाहिये जिससे कि वे हिन्दुस्तान का दौरा कर सकें और देश हित की

बात लोक सभा में रख सकें । यदि वे देश का दौरा नहीं करेंगे तो उनको वहां की हालत का पता नहीं लगेगा और वे अपने देश की सेवा नहीं कर सकेंगे; इस ख्याल से पंडित नेहरू का विचार था कि एम० पीज को ६००) रु० मासिक दिलाना चाहिये । आम तौर से यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा है कि वेतन नहीं लिया जाना चाहिये । मैं यह अर्ज करूंगा कि पंडित नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के सेक्रेट्री को भी जीवन निर्वाह करने के लिये वेतन जरूर मिलना ही चाहिये । और मेरा ख्याल है कि वेतन लेकर वे अपने देश का अधिक हित कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि विरोधी सदस्य इस तरह की बातें कहकर कि पंडित नेहरू ने यह कहा गलत फेहमी पैदा करते हैं ।

हमारे मित्र यह भी कहते हैं कि त्याग की भावना लेकर हम यहां आये हैं; हमको एक पैसा भी नहीं लेना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ऐसा कहा है वे जागीरदार हैं, उनके पास सैकडों रुपया है। अगर वे त्याग करना चाहें तो कर सकते हैं और उन्हें त्याग करना भी चाहिये। लोग उनकी तारीफ करेंगे कि जो लोग अभी तक गड़बड़ियें करते रहे थे आज त्याग करने की भावना रख रहे हैं और त्याग करने के लिये तैयार हैं । हम उनकी इस त्याग की भावना को वेलकम करेंगे । जो दो सौ रुपये यहां पर रखे गये हैं उनको ज्यादा बतलाना सरासर अन्याय है । दो सौ रुपये आजकल के जमाने में कुछ ज्यादा नहीं है। एक मजदूर भी ४–५ रुपये रोज कमा लेता है। इसलिये यह कहना कि २००) रुपये बहुत ज्यादा है ठीक नहीं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में जो वेतन रखा गया है वह ठीक है और इसको ठीक मानना चाहिये।

श्री खेतसिंह:—माननीय अध्यक्ष, अभी हाल ही में अपना जो बजट पेश हुआ जिसमें वित्त मंत्रीजी ने गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में कहा था कि साढे तिरानवे लाख का घाटा है और उसको पूरा करने के लिये सदन के सामने नये नये विचार आये। मैं माननीय अध्यक्ष, आपकी मारफत यह अर्ज करूंगा कि पहले भी इस घाटे को पूरा करने के लिये सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि मिनिस्टरों की तनख्वाह कम की जावे अथवा उनका कार एलाउन्स जो १६००) रुपया माहवार है उसको कम किया जावे। मगर किसी महानुभाव को यह जोश नहीं आया और न कम किया गया। लेकिन अब जब अपनी तनख्वाहों का बिल आपके सामने आया है, इस वक्त में हमको शर्म आती है क्योंकि खास कर जब हम अपनी ही सेलेरी पर चर्चा करते हैं । इसके साथ साथ कुछ महानुभावों को यह प्रतीत हुआ कि विरोधी दल के सब लोग यह चाहते हैं कि उनको ३००) रु० या ३००) रुपयों से अधिक की सेलेरी लेनी चाहिये। लेकिन

ऐसी बात नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है मेरे मित्र श्री गोपीलाल यादव के एमेन्डमेन्ट के अनुसार यदि वह सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जाता तो बहुत ठीक होता क्योंकि अपनी तनख्वाहों का मामला अपने को तय करते शर्म आती है। अगर २००) रुपये मंजूर करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं क्योंकि हम में से अधिकांश व्यक्ति जो आये हैं वे त्याग की भावना को लेकर यहां आये हैं और यह चाहते हैं कि कुछ न कुछ त्याग करें। यह अच्छा नहीं मालूम होता कि हम सदन में बैठ कर अपने लिये ही २००) रुपये मंजूर करें। अब यह सवाल हमारे सामने आया है तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से मैं यह उचित समझता हूं कि बजट जब घाटे में है तो ऐसी सूरत में हमको इससे भी कम, मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ नहीं लेना चाहिये और जहां तक ओनरेरियम का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि हम हिन्दुस्तान के सामने एक नजीर पेश कर सकते हैं कि राजस्थान के एम० एल० एज० कितना त्याग कर सकते हैं?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक पर साधारण वाद-विवाद के दोरान में विरोधी पक्ष के नेता श्री जसवन्तसिंह ने एक बात कही थी। उन्होंने पूछा था कि क्या हमारे यहां, भारत के और प्रान्तों में जो वेतन और जो भत्ता रखा गया है क्या उनसे तुलनात्मक वेतन और भत्ता यहां रखा गया है? उसके उत्तर में मैं यह कहूंगा कि उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। मैं उस पर अवश्य रोशनी डालना पसन्द करूंगा। बल्कि मैं तो शुरू में ही यह अर्ज करने वाला था। बीच में कुछ वाद विवाद हो रहा था इसलिये स्पीकर की आई को केच नहीं कर सका। यह जो भत्ता और वेतन इस सभा के सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये नियत किये हैं इसमें और, और प्रान्तों में क्या क्या वेतन मिलते हैं उस पर विचार किया गया है। मैं आपके सामने करीब १० प्रान्तों के वेतन और भत्तों की दरें रखूंगा। उससे आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में जो वेतन और भत्ते रखे गये हैं, वे कितने उचित हैं।

श्री कानसिंह:—माननीय अध्यक्ष, ओन दी पोइन्ट आफ इनफोरमेशन, सर, मैं सदन की इत्तला के लिये यह चाहूंगा कि १० प्रान्तों के आंकड़े ही क्यों दूसरे हिन्दुस्तान के जितने प्रान्त हैं उन सबके भत्ते और वेतन की दरें हमारे सामने आनी चाहिये।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—जितनी सूचनाएं प्राप्त हो सकी हैं उनको आपके सामने पेश करता हूं:—

मद्रास में १५०) रुपये सेलेरी और १२॥) रुपये रोज डेली अलाउन्स........

(विचार जारी)

श्री गोपीलाल यादव:—यह गलत चीज हम लोगों के सामने बतलाई जा रही है। अभी वहां पर हाउस मीट भी नहीं हुआ है। पहली मीटिंग भी नहीं हुई

है इसलिये अभी वहां कोई सेलेरी मुकर्रर नहीं हुई है। यह उस पुराने जमाने की चीज है जब कि वहां पर ओनरेरियम के नाम से था।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–जिन नियमों के अनुसार उन्हें आज के दिन दिया जाता है उन्हें में पेश कर रहा हूं। भविष्य में क्या परिवर्तन होगा यह बाद में देखा जायगा। यदि ज्यादा दिया जायगा तो उसके लिये अभी अर्ज नहीं कर सकता। आज के दिन और प्रान्तों में क्या स्थिति है वह मैं आपके सामने रख देता हूं। यदि इसके बाद परिवर्तन होगा तो इस हाउस को भी परिवर्तन करने में मनाही नहीं होगी।

मद्रास में १५०) रुपये सेलेरी और १२॥) रुपये डेली अलाउन्स।

ट्रावनकोर कोचीन में १२०) रुपये सेलेरी और १२॥) रुपये डेली अलाउन्स।

सौराष्ट्र में १००) रुपये सेलेरी और डेली अलाउन्स ३) रुपये तथा सवारी का भत्ता अलग।

ग्वालियर में १५०) रुपये सेलेरी, भत्ता कुछ नहीं।

पंजाब में ३००) रुपये माहवार सेलेरी, कोई भत्ता नहीं।

बोम्बे में १५०) रुपये सेलेरी और १०) रुपये रोज भत्ता।

वेस्ट बंगाल में २००) रुपये सेलेरी और १५) रुपये रोज भत्ता और २॥) रुपये कनवेएन्स अलाउन्स।

उड़ीसा में १५०) रुपये माहवार सेलेरी।

हैदराबाद (अखबारों में आया था) में १५० रुपये सेलेरी और १२॥) रुपये रोज अलाउन्स

मध्यप्रदेश में १५०) रुपये सेलेरी।

इससे आप देखेंगे कि सिवाय दो एक जगहों के, यहां पर किसी प्रकार कम नहीं है। पंजाब में ३००) रुपये माहवार मिलते हैं लेकिन दैनिक भत्ता नहीं मिलता। बंगाल में २०० रुपये वेतन और अलाउन्स १५) रुपये व २॥) रुपये हैं। बाकी स्थानों में इससे कम है। इस प्रकार दूसरे प्रान्तों से यहां विशेष है। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, बोम्बे से हमारे यहां ज्यादा है। इसलिये मैं कह सकता हूं कि जो वेतन और भत्ता आपके सामने स्वीकृति के लिये रखा है वह और प्रान्तों के अनुकूल है। कुछ से, दो तीन को छोड़ कर, यहां अच्छा है। इससे यह स्थिति साफ हो जाती है कि और प्रान्तों से जब मुकाबला करते हैं तो अपने यहां का वेतन बहुत ठीक है। अब बात रही मिनिस्टर्स और मेम्बरों को एक ही तरह का वेतन और भत्ता मिलना चाहिये . . . .

श्री कानसिंह:–आपत्ति: किसी सदस्य ने विरोधी दल की तरफ से यह नहीं कहा कि मिनिस्टरों के बराबर ही वेतन और मोटर अलाउन्स होना चाहिये।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—मुझे याद है कि यह बात हाउस में कही गई है।

२००) रुपये माहवार के हिसाब से साल भर के २४००) रुपये होते हैं। यदि साल भर में औसतन धारा सभा की बैठक १०० दिन तक होती है तो १२॥) रोज के हिसाब से १२५०) रूपये होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर १०० दिन काम करने के प्रत्येक माननीय सदस्य को ३,६५०) रुपये वेतन और भत्ता मिला कर, मिलेंगे। इस तरह से लगभग ३६) रुपये रोज का हिसाब पड़ता है। जबकि मिनिस्टरों को १०००) रूपये वेतन के मिलते हैं और उसमें से १०० रुपये वोलन्टियरी कट के जाते हैं और कुल ९००) रुपये उनको वेतन के रूप में माहवारी मिलते हैं यानि ३०) रूपये रोज मिलते हैं। इस पर भी उनको लगातार बारह महीना काम करना पड़ता है। मैं चाहता था कि इस तरह का मुकाबला नहीं किया जाय लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का कहना था कि दोनों का बेसिस एक ही होना चाहिये। माननीय सदस्यों को जो कुछ मिलेगा वह पार्ट टाइम होगा। मिनिस्टर लोग और कोई काम नहीं कर सकते जब कि सदस्य और काम को करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को रखते हुए ३६) रूपये रोज बेजा नहीं है। यदि हम इसकी दिल्ली की पार्लियामेन्ट के सदस्यों के भत्ते से तुलना करते हैं तो पता चलेगा कि उनको पहले ४५) रुपये रोज भत्ता मिलता था और माहवारी वेतन कुछ नहीं मिलता था। अब उनको ४० रुपये रोज मिलते हैं इसलिये हमारे यहां जो ३६) रुपये रोज मिलेंगे, कम नहीं हैं और न किसी को शिकायत करने का मौका भी होना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह:—हमारी तो यह शिकायत है कि यह भत्ता वगैरह भी ज्यादा है। हम तो यह कहते हैं कि २००) रुपये माहवार काफी ज्यादा दिये जा रहे हैं।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:——दूसरा सवाल यह था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वेतन क्या मिलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य:—डिटेल्स शुड नोट बी डिसकस्ड।

माननीय अध्यक्ष:—नो डिटेल्स केन बी गिवन एट दिस स्टेज। डिटेल्स केन बी गिवन, वेन इट इज टेकन क्लाज़ बाइ क्लाज़।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—मैं डिटेल्स नहीं लेना चाहता। सिद्धान्त की बात करना चाहता हूं और प्रान्तों में जिस आधार पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वेतन मिलता है उसी तरह से यहां भी वेतन की दर नियत करना चाहते हैं। यहां कहा जाता है कि मेम्बर के लिये २००) रूपये ज्यादा हैं दूसरी तरफ तरमीम है कि ३००) रूपये होना चाहिये। जो साहब चाहते हैं कि वेतन और भत्ता नहीं लें उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका लेना कंपलसरी नहीं है। जो साहब नहीं लेना चाहें वे न लें। भारत के कांस्टिटियुशन में ऐसा प्रोविजन है कि इस तरह का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाना चाहिये; इसलिये यह नियत किया गया है।

 [redacted]

मा·नीय अध्यक्ष:–बिल पर सैद्धान्तिक वादविवाद समाप्त हुआ। अब मूल धाराओं पर विचार करेंगे।

नाउ दी मोशन इज देट क्लाज टु ओफ दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली ओफिसर्स एन्ड मेम्बर्स एमोल्युमेन्ट बिल बी एडेड टू ओफ दी बिल।

Raja Man Singh:— May I seek information that I should now move the amendment.

Hon'ble Speaker.—You will move your amendment.

Raja Man Singh: –I, therefore, move the amendment that clause 2 sub-clause (1) a of the Bill the words 'five hundred' may be substituted for the words 'one thousand'. The salary of the Speaker according to my amendment should be Rs. 500/- and that of the Deputy Speaker should be nil. As such clause 2 sub-clause 1-b should be omitted and also, Sir, in clause 2 (2) of the Bill the words 'or Deputy Speaker, as the case may be' may be omitted

Clause 195 of the Constitution of Indian states clearly that the members shall be entitled to receive salaries. That does not mean that the members will have to received the salaries.

I should like to point out that the Minister has put those figures from the Assemblies of other provinces and in the same way I should like to point out that the Assembly of P. E. P. S. U. have taken some useful decisions in this connection and we should do the same here. I have put up a proposal that we do not want any salaries but the salary of the Speaker shall be Rs. 500/- and that of the Deputy Speaker, nil.

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री हरिदत्तसिंह:–माननीय उपाध्यक्ष, हमारे माननीय अध्यक्ष को यहां के तमाम कार्यों को देखना पड़ता है; सदन के कामों के अलावा भी। इस वजह से इनका पूरा समय लग जाता है; और डिप्टी स्पीकर के लिए जो यह अमेन्डमेन्ट किया गया है कि उनको कोई सलरी न दी जाय उसका अर्थ यह है कि चूंकि वह कभी कभी स्पीकर के पद पर सुशोभित होकर अपनी राय देने आते हैं इसलिये उनको भी वह मिलना चाहिए, जो कि अन्य सदस्य पायेंगे। इसलिये उनके सम्बन्ध में जो यह बतलाया गया है वह पूर्ण तया ठीक है। जब यह कहा जाता है कि दूसरे सदस्य जिनको कि साल भर में ३ महीने, ४ महीने या ५ महीने के करीब अपना समय देना होगा तो उनके लिए २००) रुपया जैसा कि बिल में दिया है वह काफी है तो ऐसी सूरत में हमारे माननीय अध्यक्ष के लिए ५००) रुपया पर्याप्त होगा। जो आदमी इस सदन में आये हैं चाहे वे किसी पक्ष से आये हों उन्होंने अपने

आने का जो ध्येय बनाया है वह एक तरह से त्याग का ध्येय है। इसी ध्येय को लेकर वे यहां आये हैं। वे तो पब्लिक के सामने त्याग की भावना के अनुयायी हैं, उन्होंने इसीमें अपना समय गुजारा था। कहीं जनता यह न समझने लग जाय कि वे इस सदन में आकर अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को भी भूल रहे हैं। ऐसा न हो कि वे यह सोचने लगें कि वे जनता की सेवा अब नहीं कर रहे हैं। त्याग की भावना जब तक हमारे में भरी रहेगी, जनता हमारा स्वागत करेगी। यदि आपके अन्दर से यह भावना चली जाती है तो जनता आपका समर्थन नहीं करेगी। वह समझेगी कि यह हमारी कोई सेवा करने नहीं आये हैं। यदि मिनिस्टर साहबान अपनी एक हजार की तनख्वाह में १००) रुपये की कमी करके एक उदाहरण जनता के सामने रखते ह कि हम आपसे लिए हुए धन को कम से कम अपने खुद के लिए लेने की भावना रखते हैं तो यह भावना भी त्याग की ही द्योतक है। तो क्या हमारे माननीय अध्यक्ष की तरफ से हम ऐसा अनुमान नहीं कर सकते कि वे अनुयायी और अगुआ बनेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आगे बताना चाहता हू कि हमारे माननीय अध्यक्ष की जो एक हजार की तनख्वाह है उसको अभी से कम करदें। माननीय अध्यक्ष की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन पर, राजस्थान के तमाम आफिसर्स पर, एक तरह की कंट्रोलिंग ओथोरिटि भी हो जाती है। तो यदि वह एक ऐसी नजीर अपने राजस्थान प्रदेश में जिसमें कि अभी ही जनता की चुनी हुई सरकार बनी है, जिसमें हमारा बजट भी घाटे में चल रहा है पेश करदें तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मिनिस्टर साहबान भी जिन्होंने १००) रुपये कट किए हैं, आगे बढ़कर ५००) पर आ जायेंगे। मैं इस चीज से सहमत नहीं हू कि वे तमाम साल भर कार्य करते हैं और यहां सदस्यों को २–३ महीने ही कार्य करना पड़ता है। पर मैं अर्ज करूंगा कि वह जब भी यहां आते हैं जनता की भलाई के लिए ही यहां आते हैं। फिर भी उन्हें अपनी साल भर की आमदनी इन ४ महीनों में ही खो देनी पड़ती है। यह मैं आपको बताऊं कि हम जब कभी अपने स्थान से हम निकल आते हैं तो एक दिन के आने में ही हमें १५ दिन के वास्ते अपने काम से कटऑफ हो जाना पड़ता है। तो यह ख्याल कि हम तीन महीने ही बैठते हैं, ठीक नहीं क्योंकि मैं बताना चाहता हं कि इन ३–४ महीनें में ही अपनी सारी कमाई को खो बठते ह। इसके अलावा मिनिस्टर महोदयों की तनख्वाहों के बारे में बताऊं कि उन्ह एक हजार रुपया तो तनख्वाह मिलती है। इसके अतिरिक्त २५०) रुपये कार अलाउन्स, कोठी अलाउन्स व लम्पसम टी ए मिलाकर उनको काफी पड़ जाता है। यह तो उनकी स्थिति है जो यह बजट बनाकर हमें देना चाहते हैं। मौजूदा समय के हिसाब से ६ गुना पड़ता है। इन सब बातों को वाद–विवाद में नहीं डालें। मैं आप सबकी सहमति लेकर कहना चाहूंगा कि समय आ गया है कि हम इस पर विचार करें कि क्या हम इन तनख्वाहों को लेकर अपने त्याग की भावना को खत्म कर देंगे, इसका हम विचार करें।

मैं नजीर के तौर पर एक बात कह रहा हूं कि नसीरुद्दीन बादशाह था। बहुत बड़ा बादशाह था; पर उसकी बीबी हाथ से खाना पकाती थी। एक दिन खाना पकाते हुए उसका हाथ जल गया तो अपने खाविन्द से शिकायत की कि

खाना पकाने के लिए एक बांदी रख देते तो अच्छा होता। तो उसने जवाब दिया कि ए मेरी प्यारी बीबी, मैं तो किताबें लिखकर अपना और तेरा पेट भारता हूं फिर मैं बांदी कहां से रख सकूंगा; यह तो पब्लिक का पैसा है इसमें से लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो इसी तरह से आज आपकी भी स्थिति ह। आपका कर्तव्य है कि आप पब्लिक के पैसे की पूरी हिफाजत करें। यह हमेशा ध्यान रखें कि किसी काम में भी जनता का पैसा फिजूल न जाय। अगर आप ही इस तरह खर्च करने लग जायेंगे तो जनता सोचेगी कि जो त्याग की भावना आपके अन्दर भरी हुई थी वह क्या इस सदन में आते ही गायब हो गई? क्या आपकी भावनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि इस सदन में आकर आप उसके हित का, उसके पैसे के सदुपयोग का मसला ही भूल जांय। अगर हम साल भर में थोड़ी बहुत बचत जनता के लिए कर देते हैं तो जनता आपको योग्य शासक कहेगी। आप स्पीकर साहब को उनके पद के योग्य तनख्वाह देना चाहते हैं और कहते हैं कि उनकी शान के माफिक सेलेरी होनी ही चाहिये। मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम उनकी सेलेरी में कमी कर देते हैं तो इससे उनकी शान में किसी तरह की कमी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता है। बजाय फर्क आने के उनकी शान तो इसमें और बढ़ेगी कि उन्होंने जनता के पसे का सदुपयोग किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे; हमारे अध्यक्ष स्वयं इस बात पर अवश्य ध्यान ेंगे।

बहुत कुछ उलजलूल बातें इस चुनाव में हो चुकी हैं और आइन्दा भी आपने अपना ध्यान नहीं बदला तो जनता में आप अपना विश्वास और भी खो बैठेंगे। यह समय तो उस त्याग की भावना को लेकर चलने का है, जिस त्याग की भावना के आप खुद नमूने हैं। आपका पिछला जीवन इस बात का उदाहरण रहा है। मैं एक मिसाल और अर्ज कर देना, जनता के विचार से; जरूरी समझता हू कि बात यह है कि जैसी कि कहावत चली आती है कि "पंचों, तुम्हारा कहना सिर माथ पर" नम्बरदारजी जिस गांव में रहते थे एक ऐसे मुखिया थे, जिनकी पूरी जमात थी। उसने एक मकान बनाया और अपने-पड़ौसी की जमीन में एक मोहरी डाल दी। वह गरीब था। उसने भरसक प्रयत्न किया कि वह नम्बरदार मान जाय, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। उस गरीब आदमी ने पंच इकट्ठे किये। पंच भी जानते थे कि वह मोहरी उठेगी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नंबरदारजी आपने यह ठीक नहीं किया कि यह मोहरी एक गरीब के मकान में डाली; आप इसे बन्द करिये। नम्बरदारजी ने सुन कर यह कहा कि पंचों का कहा सिर माथे लेकिन यह मोहरी तो यहीं गिरेगी। इसी तरह हम दूसरे दल वाले यह जानकर कि हम कम तादाद में हैं हम यह देखेंगे कि मोहरी हटाई जायगी या नहीं।

एक छोटा सा एक्जाम्पल और है। यह शक्ल उस वक्त थी जबकि द्रौपदी का चीर अपहरण हो रहा था और धृटराष्ट्र और दोनों दल देखते रहे। यहां एक कौरव दल था और दूसरा पांडव दल। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वह चीर

[redacted]

हरण यहां न किया जाय। हो सकता है कि श्रीकृष्ण भगवान् ने किन्हीं कारणों से चीर की रक्षा की। हम यहां जनता के आर्थिक चीर का अपहरण देख रहे हैं। क्या आप उसका चीर अपहरण करके, उस जनता को निस्सहाय समझ कर, उसके आर्थिक चीर का अपहरण करने का विचार कर रहे हैं और उसके विचार के अन्दर पार्टी (दल) बनाकर अब भी आप बिल पास किये जा रहे हैं। इसलिये जनता का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें ऐसे उदाहरण इस सदन के सामने रखने हैं। हमारी यही भावना रहे कि देश के नौजवानों को ठीक किस तरफ ले जाना है। जनता बहुत कुछ इस सदन की ओर टकटकी लगाये बैठी है। हमारी सरकार उन्हीं बहुत कुछ पुराने ढरों पर चल रही है। क्या वह हमारे देश के नौजवानों को उस राह की ओर नहीं ले जाना चाहती है जिस पर चलकर आपने देखा होगा कि आज चीन ने २ साल में अपना दृढ अस्तित्व कायम कर लिया है ? हम आपस में छोटे छोटे विरोधों को लेकर लड़ते रहने से हम अपने हिन्दुस्तान के भविष्य को, भारत के भविष्य को किधर ले जा रहे हैं? हम इस विषय पर जरूर मिलकर सोचें। इसलिये मैं यह समर्थन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष का वेतन ५००) रुपये से अधिक न हो। डिप्टी स्पीकर भी अपना समय देते हैं। यदि यह समझ लिया गया है कि वे २–३ महीने ही काम करेंगे तो फिर क्यों उनको इतना अधिक दिया जाता है। चूंकि डिप्टी स्पीकर उनका नाम है इसलिय उनको ४००) रुपये देदें इसमें कोई गौरव की बात नहीं। पैसों से काम लिया तो इसमें कई कमजोरी महसूस करेंगे और हम जनता के सामने कमजोर निकलेंगे। मेरे ख्याल में जो राजा साहब ने प्रस्ताव पेश किया है वह ठीक है। इसकी सदन स्वीकृति देने की कृपा करेगी।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अध्यक्ष के वेतन के सम्बन्ध में लाया गया है कि अध्यक्ष का वेतन १ हजार रुपया रखा है उसमें यह जो संशोधन है कि उनका वेतन ५००) रुपये कर दिया जाय, इस लिए यह निवेदन है कि अध्यक्ष का वही वेतन रखा गया है जो और मिनिस्टर्स का है। और प्रान्तों में जिस तरह से है उसी प्रकार यहां रखा गया है। इसलिये यह जो एक हजार रुपये उनका वेतन रखा गया है, ठीक रखा गया है।

डिप्टी स्पीकर के लिए यह जो कहा गया है कि उनका वेतन नहीं रखा जाना चाहिए उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कांस्टिट्यूशन में यह प्रोविजन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेम्बर्स हों उनके लिए सेलेरी और एलाउन्स मुकर्रर किया जाय। यह जो संशोधन का दूसरा हिस्सा है कि डिप्टी स्पीकर को कोई वेतन नहीं मिलना चाहिए वह उसके विरुद्ध है।

श्री राजा मानसिंह:—आन दी प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। आर्टीकल १९५ आफ दी कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया इज़ एज़ फोलोज़:—

Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries

and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law and, until provision in that respect is so made, salaries and allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Legislative Assembly of the corresponding Province."

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—मैंने पहले ही कहा था कि यह किसी सदस्य अथवा उपाध्यक्ष के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह जो वेतन उनका रखा जाए उसे लें या न लें। लेकिन जहां तक सरकार का सम्बन्ध है विधान की धारा के अनुसार उसे रखना आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन नामन्जूर किया जाना चाहिए।

श्री जसवन्तसिंहः—क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी जगहों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सेलेरीज का क्या सिलसिला है?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—मैं यह चाहता था कि मैं उसी वक्त इसे बताता, लेकिन माननीय अध्यक्षजी ने मौका नहीं दिया।

उपाध्यक्षः—यह चीज उस स्टेज की नहीं, इस स्टेज की है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—यह थी तो उसी स्टेज की। अगर अध्यक्षजी इजाजत दें तो मैं पेश कर सकता हूं।

उपाध्यक्षः—पेश करें।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—वैसे आम तौर से देखा जाय तो सदस्यों और उपाध्यक्ष के वेतन में १५०) रुपये या २००) रुपये का अन्तर मिलेगा।

	स्पीकर	डिप्टी स्पीकर
मद्रास	१०००) रु० वेतन	३००) रु० वेतन
मध्य भारत	२०००) रु० सालाना	
पंजाब	५००) रु० मासिक	

श्री जसवन्तसिंहः—स्पीकर को पंजाब में क्या मिलता है?

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः—पंजाब में स्पीकर की सेलेरी ५०० रू० और ३००) रु० कार एलाउन्स है।

मध्य प्रदेश में १०००) रु० वेतन है।

सदस्यों और उपाध्यक्ष के वेतन में १५०) रु० या २००) का अन्तर रहता है। उतना ही फर्क जो है वह यहां रखा गया है। सदस्यों का वेतन २००) रु०

है और २००) रु० का अन्तर रखते हुए ४००) रु० डिप्टी स्पीकर का वेतन रखा गया है। डिप्टी स्पीकर का जो वर्क है वह होल टाइम का नहीं है। स्पीकर का होल टाइम का कार्य है। स्पीकर इस कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष और भी कोई कार्य कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष:–राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) बिल, १९५२, में क्लाज २ के (ए) और (बी) दोनों में जो संशोधन पेश हुआ है उसके लिए प्रश्न यह है कि जो इस संशोधन को चाहते हैं "हां" कहें और जो इसको नहीं चाहते हैं वे "ना" कहें।

राजा मानसिंह:–I have put an amendment which more or less affects the whole Bill; as such I suggest that a vote should be put up as a whole and not clause by clause.

उपाध्यक्ष:–सारे सेक्शनों पर बहस होजाय। आगे जो भी अमेन्डमेन्ट है उस पर वाद विवाद चालू रखा जाय।

राजा मानसिंह:–I should like to put up a summary of the amendment with its important features.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–माननीय उपाध्यक्ष महोदय में, यह समझ रहा हूं कि क्लाज़ २ पर जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है उस पर वाद विवाद हो रहा है या सारे क्लाज़ पर।

राजा मानसिंह:–I understand that Hon'ble Member cannot enquire about the ruling when it has once been given.

उपाध्यक्ष:–धारा २ के सम्बन्ध में एक साथ विचार कर लिया जाय।

राजा मानसिंह:–I want to say that my amendment affects the whole Bill clause by clause. As such to save the time of the House it would have been proper if it is taken as a whole.

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–माननीय अध्यक्ष, एक धारा के सम्बन्ध में बहस होगी। जो सिलसिला चालू है, वही रखा जाय।

श्री जसवन्तसिंह:–क्लाज बाई क्लाज।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–If there is no other Speaker, the amendment may be put to vote.

माननीय उपाध्यक्ष :–प्रश्न यह है, कि जो संशोधन है, जिस पर वाद विवाद हो चुका है उसको स्वीकृती देना है। जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वे "हां" कहेंगे जो इस संशोधन के विरुद्ध होंगे वे ना कहेंगे।

श्री जसवन्तसिंह :–वी वान्ट ए डिविजन।

(इस पर विभाजन हुआ)

माननीय अध्यक्ष :–एज (हां–पक्ष) ६५ और नोज (ना–पक्ष) ७९

(कृपया परिशिष्ट दखिये)

(विराम)

माननीय अध्यक्ष :–"ना" पक्ष जीता। संशोधन नामंजूर किया जाता हैं।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष :–अब सदन की कार्यवाही कल, तारीख २२–४–५२ के ८–३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक २२–४–५२ के साढ़ह आठ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर

सभा भवन,
जयपुर
दिनांक २१–४–५२

परिशिष्ट

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY.

DIVISION LIST.

AYES 65

Motion No. 4 in the Order of the day.

Amendment No. 1, 2 and 3 of list No. 1 to the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Bill, 1952.

Dated the 21st. April, 1952.

Serial No.	Division No.	Member's Name
1	1	Shri Abani Kumar
2	2	,, Rajadhiraj Amar-Singh
3	4	,, Arjun Singh
4	8	,, Belji
5	11	,, Bhairon Singh (of Sojat Desuri Constituency)
6	13	,, Bhairon Singh (of Rajsamand-Relmagra Constituency)
7	14	,, Bhanu Pratap Singh
8	16	,, Bheron Singh (of Danta Ramgarh)
9	17	,, Th. Bhim Singh
10	22	,, Bishan Singh
11	23	,, Raj Kumar Brijendra Pal
12	26	,, Chandra Kant Rao
13	28	,, Chatter Singh
14	30	,, Chittar Lal
15	35	,, Devi Singh
16	36	,, Th. Dharam Chand
17	39	,, R. S. Dilip Singh
18	41	,, Ganga Singh
19	42	,, Ganpat Singh
20	46	,, Gopal Singh
21	47	,, Gopi Lal Yadav
22	50	,, Hanwant Singh
23	54	,, Hari Datta
24	57	,, Hari Singh
25	61	,, Himmat Singh (of Atru)
26	63	Shri Ishwar Singh
27	64	,, Jagat Singh
28	66	,, Jaswant Singh
29	67	,, Jawan Singh
30	68	,, Jeyendra Singh
31	69	,, Kan Singh
32	73	,, Keshri Singh (of Sojat Main)
33	74	,, Keshri Singh (of Nagaur West)
34	75	,, Kesri Singh (of Patan)
35	76	,, Kesri Singh (of Mandalgarh)
36	77	,, Khet Singh
37	79	,, Kishore Singh
38	89	,, Th. Madho Singh
39	90	,, Madho Singh
40	91	,, Mahadev Prasad N. Pandit
41	93	,, Mangal Singh (of Jodhpur Tehsil North)
42	97	,, Man Singh
43	98	,, Raja Man Singh
44	100	,, Mohabat Singh
45	104	,, Mota Ram
46	112	,, Narsingh Kachhawaha
47	114	,, Nathu Singh
48	115	,, Partab Singh
49	117	,, Partap Singh
50	118	,, Pyare Lal
51	120	,, Th. Raghubir Singh
52	121	,, Raghuraj Singh

Serial No.	Division No.	Member's Name	Serial No.	Division No.	Member's Name
53	131	Shri Rup Narain	59	139	Shri Shambhu Singh
54	132	,, Sajjan Singh	60	140	,, Shiv Dhan Singh
55	134	,, Sangram Singh	61	141	,, Sribhan Singh
56	135	,, Maharawal Sangram Singh	62	150	,, Tej Raj Singh Gainta
			63	151	,, Kr. Tej Singh
57	136	,, Santosh Singh Kachhawaha	64	156	,, Umed Singh
			65	158	,, Vijai Singh
58	137	Shri Rao Raja Sardar Singh			

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY.

DIVISION LIST.

NOES —79.

Motion No. 4 in the Order of the day.

Amendment No. 1, 2 and 3 of list No. 1 to the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Bill, 1952.

Dated the 21st April, 1952.

Serial No.	Division No.	Member's Name	Serial No.	Division No.	Member's Name
1	3	Shri Amrit Lal Yadav.	14	29	Shri Chhotu Singh
2	5	,, Badri Lal Vakil	15	31	,, Chunni Lal
3	6	,, Badri Prasad	16	32	,, Dalip Singh
4	7	,, Balvir	17	33	,, Damodar Lal
5	9	,, Bhagwan Singh	18	34	,, Deen Bandhu
6	10	,, Bhairav Lal Kala Badal	19	37	,, Dhram Pal
			20	38	,, Dhulji
7	15	,, Bhawani Sahai	21	40	,, Durlabh Singh
8	18	,, Bhogi Lal Pandya	22	43	,, Ghasi Ram
9	19	,, Bhola Nath	23	44	,, Ghasi Ram Yadava
10	21	,, Bishambhar Nath Joshi	24	45	,, Ghisi Singh
			25	48	,, Gulab Chand Kasliwal
11	24	,, Chandan Mal	26	49	,, Sandhu Gurdayal Singh
12	25	,, Chand Mal	27	51	,, Hans Raj (of Bhadra)
13	27	,, Chhanga	28	52	,, Hans Raj (of Bari)

Serial No.	Division No.	Member's Name
29	53	Shri Hari Dev
30	55	,, Hari Ram
31	56	,, Hari Shankar Sidhant Shastri
32	58	,, Harlal Singh
33	59	,, Hazari Lal Sharma
34	65	,, Jai Chand
35	70	,, Kanwar Lal
36	71	,, Kapil Deo
37	72	,, Kastoor Chand
38	78	,, Kishan Lal
39	80	,, Ch. Kumbha Ram
40	81	,, Ladu Ram Chowdhari
41	82	,, Lal Bahadur
42	84	,, Lalu Ram
43	85	,, Laxman Bhil
44	88	,, Madho Lal (Mehar)
45	92	,, Mahadev
46	94	,, Dr. Mangal Singh (of Bari)
47	95	,, Manna
48	96	,, Manphool Singh
49	99	,, Mathura Dass
50	101	,, Mohammad Ibrahim
51	102	,, Mohan Lal Sukhadia
52	106	,, Moti Lal
53	107	,, Moti Ram
54	108	,, Mukti Lal Modi
55	110	Shri Narayan Lal
56	116	,, Prabhu Dayal
57	119	,, Radha Kishna
58	122	,, Ch. Ram Chandar
59	123	,, Ram Dayal
60	124	,, Ramji Lal Yadav
61	126	,, Ram Kishore Vyas
62	127	,, Ram Lal Bansiwal
63	128	,, Ram Ratan
64	129	,, Ridhi Chand
65	130	,, Roshan Lal
66	133	,, Sampat Ram
67	138	,, Shah Alimuddin
68	142	,, Shri Dass Goel
69	143	,, Srigopal Bhargava
70	144	,, Shyam Lal
71	145	,, Sohan Lal
72	146	,, Soma
73	147	,, Sugan Chand Jain
74	149	,, Tej Mal
75	152	,, Tej Pal
76	153	,, Tika Ram Paliwal
77	154	,, Triveni Shyam Sharma
78	155	,, Udai Lal
79	157	,, Vedpal Tyagi

———